अनुबंध-1

(पृष्ठ संख्या 13 पर अनुच्छेद संख्या 1.8, पृष्ठ संख्या 14 पर अनुच्छेद संख्या 1.9 एवं पृष्ठ संख्या 20 पर अनुच्छेद संख्या 1.13 में संदर्भित)

ऊर्जा क्षेत्र कम्पनियों के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अन्तिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	ब्याज एवं कर से पूर्व शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज एवं कर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य[1]	संचित लाभ/ हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ.	उत्पादन								
1	छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी)	2017-18	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	-0.04
2	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी)	2017-18	0.00	0.00	0.00	0.05	0.01	0.01	-0.04
3	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या 4 की सहायक कम्पनी)	2017-18	-90.81	-241.45	0.00	370.05	-268.00	-570.59	-940.64
4	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2017-18	3293.54	607.26	12784.11	9721.45	40463.76	5288.09	-4431.59
5	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2017-18	18.26	9.78	107.77	12.94	169.57	169.57	156.63
	क्षेत्रवार योग		**3220.99**	**375.59**	**12891.88**	**10104.54**	**40365.35**	**4887.09**	**-5215.68**
ब.	प्रसारण								
6	बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 9 की सहायक कम्पनी)	2017-18	-0.27	-0.27	0.00	0.05	-9.30	-9.30	-9.35
7	बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 9 की सहायक कम्पनी)	2017-18	-0.02	-1.77	0.00	0.05	-15.26	-15.26	-15.31
8	केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 9 की सहायक कम्पनी)	2017-18	-0.02	-0.02	0.00	0.05	-2.00	-2.00	-2.05
9	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2017-18	1297.04	195.71	2839.59	4270.73	13766.19	3024.67	-1246.06
	क्षेत्रवार योग		**1296.73**	**193.65**	**2839.59**	**4270.88**	**13739.63**	**2998.11**	**-1272.77**
स.	वितरण								
10	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2017-18	4910.61	1199.08	11285.67	8933.43	-589.00	-20551.94	-29485.37
11	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2017-18	5207.92	943.16	16257.44	9625.12	-243.85	-22341.63	-31966.59
12	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2017-18	3904.80	30.47	12304.22	8892.03	-2136.63	-22116.53	-31008.53
	क्षेत्रवार योग		**14023.33**	**2172.71**	**39847.33**	**27450.58**	**-2969.48**	**-65010.1**	**-92460.49**
द.	अन्य								
13	राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 5 की सहायक कम्पनी)	2017-18	12.96	8.90	17.43	0.05	19.27	19.27	19.22
14	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2017-18	0.00	0.00	9.23	50.00	50.00	50.00	0.00
15	राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड	2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	क्षेत्रवार योग		**12.96**	**8.90**	**26.66**	**50.05**	**69.27**	**69.27**	**19.22**
	कुल योग		**18554.01**	**2750.85**	**55605.46**	**41876.05**	**51204.77**	**-57055.63**	**-98929.72**

1 निवल मूल्य प्रदत्त पूंजी एवं मुक्त कोषों एवं संचित लाभ एवं हानि एवं स्थगित राजस्व व्यय का कुल योग होता है। निवल मूल्य ज्ञात करने के लिए राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रकरण में ₹ 1.77 करोड़, ₹ 0.16 करोड़ एवं ₹ 0.03 करोड़ के स्थगित राजस्व व्यय घटाये गये है।

अनुबंध -2

(पृष्ठ संख्या 17 पर अनुच्छेद संख्या 1.12 में संदर्भित)

राज्य सरकार द्वारा सात ऊर्जा क्षेत्र कम्पनियों में स्थापना से 31 मार्च 2018 तक लगाई निधियों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

वर्ष	एवीवीएनएल			जेविविएनएल			जेडिविविएनएल			आरविपीएनएल	आरवीयूएनएल	आरआरईसीएल	आरयूवीएनएल	कुल		
	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	पूँजी में परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	पूँजी में परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	पूँजी में परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण	पूँजी	पूँजी	पूँजी	पूँजी	पूँजी	ब्याज मुक्त ऋण (आईएफएल)	पूँजी में परिवर्तित ब्याज मुक्त ऋण
2000-01	150.00	0.00	0.00	140.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	-465.99	432.72	3.65	0.00	380.38*	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00
2002-03	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	79.00	209.00	6.43	0.00	338.43	0.00	0.00
2003-04	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	79.00	159.00	0.76	0.00	282.76	0.00	0.00
2004-05	57.00		0.00	60.00		0.00	55.00		0.00	56.00	120.00	2.00	0.00	350.00		0.00
2005-06	75.50	118.70	0.00	80.00	131.97	0.00	74.00	99.33	0.00	70.00	331.00	0.10	0.00	630.60	350.00	0.00
2006-07	83.00	51.75	0.00	88.00	55.50	0.00	81.00	42.75	0.00	90.00	352.00	0.00	0.00	694.00	150.00	0.00
2007-08	120.00	54.00	0.00	80.00	54.00	0.00	80.00	42.00	0.00	125.00	658.00	0.00	0.00	1063.00	150.00	0.00
2008-09	120.00	90.00	0.00	235.00	90.00	0.00	110.00	70.00	0.00	165.00	706.00	0.00	0.00	1336.00	250.00	0.00
2009-10	160.00	61.20	0.00	230.00	61.20	0.00	0.00	47.60	0.00	240.00	650.00	0.00	0.00	1280.00	170.00	0.00
2010-11	192.29	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00	400.00	336.00	0.00	0.00	1540.29	0.00	0.00
2011-12	524.36	295.47	375.65	562.67	391.34	392.67	466.68	308.19	301.68	400.00	521.00	0.00	0.00	2474.71	995.00	1070.00
2012-13	916.66	371.35	0.00	969.18	309.23	0.00	877.16	319.42	0.00	449.00	636.00	0.00	0.00	3848.00	1000.00	0.00
2013-14	910.18	0.00	0.00	901.57	0.00	0.00	1000.25	0.00	0.00	326.00	740.00	0.00	0.00	3878.00	0.00	0.00
2014-15	988.46	70.88	271.85	1041.10	94.50	231.11	968.15	70.87	226.44	370.00	881.50	0.00	0.00	4249.21	236.25	729.40
2015-16	2485.70	70.88	394.97	2726.78	94.50	469.46	2540.18	70.87	401.17	537.16	1144.00	0.00	0.00	9433.82	236.25	1265.60
2016-17	1041.70	0.00	0.00	1108.76	0.00	0.00	1026.62	0.00	0.00	194.56	694.08	0.00	50.00	4115.72	0.00	0.00
2017-18	1078.58	0.00	0.00	1162.06	0.00	0.00	1062.99	0.00	0.00	250.01	296.28	0.00	0.00	3849.92	0.00	0.00
कुल	8933.43	1184.23		9625.12	1282.24		8892.03	1071.03		3364.74	9229.58	12.94	50	40107.84	3537.50	3065.00

* यह राजस्थान सरकार द्वारा निवेशित निवल निवेश/पूंजी को संचित हानियो को घटाने के पश्चात दर्शाता है। आरएसईबी को पांच कम्पनियों में विभाजित करने में कुल व्यय ₹ 376.73 करोड़ (अर्थात पूँजी ₹ 1774.59 करोड़ – आरएसईबी की संचित हानियां ₹ 1397.86 करोड़) + ₹ 3.65 करोड़ (आरआरईसी की प्रारंभिक पूँजी)।

अनुबंध-3

(पृष्ठ संख्या 36 एवं 80 पर अनुच्छेद 2.9 एवं 3.1.3 में संदर्भित)

आरटीपीपी अधिनियम 2012/ नियम 2013 के अन्तर्गत सामग्री के प्रापण के लिए निर्धारित प्रावधानों के क्रियान्वयन में विचलन को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. संख्या	विचलन का प्रावधान / मानदण्ड	आरटीपीपी अधिनियम 2012/ नियम 2013 के प्रावधान में विचलन का संक्षिप्त विवरण
1	बातचीत	**आरटीपीपी नियम-2013 के नियम -69** में प्रावधान है कि: (1) एकल स्त्रोत क्रय या प्रतियोगी बातचीत द्वारा क्रय की पद्धति के अतिरिक्त, जहां तक संभव हो, बोली-पूर्व स्तर के पश्चात कोई बातचीत नहीं की जायेगी। (2) हालांकि, बातचीत केवल न्यूनतम या अधिकतम लाभप्रद बोलीदाता से नियमों में निर्धारित परिस्थितियों में की जा सकेगी। (6) न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोलीदाता से बातचीत असंतोषजनक होने की दशा में, बोली मूल्यांकन समिति, न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली दाता की एक लिखित प्रति प्रस्ताव देने का चयन कर सकेगी एवं यदि यह उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो समिति बोली को अस्वीकार करने एवं बोलियां पुनः आमंत्रित करने का निश्चय कर सकती है या वही प्रति-प्रस्ताव प्रथमतः दूसरे न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोली लगाने वाले को, तत्पश्चात तीसरे न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद बोलीदाता को एवं इसी प्रकार उनकी प्रारम्भिक स्थिति के क्रम में एवं कार्य/आपूर्ति आदेश उस बोलीदाता को दिया जा सकेगा जो प्रतिप्रस्ताव स्वीकार करता है। यह प्रक्रिया मात्र आपवादिक परिस्थितियों में ही उपयोग में लायी जानी चाहिए। **क्रय नियमावली के पैरा 21** में कहा गया है कि यदि एल-1 बोली लगाने वाले द्वारा दी गई दरें अन्य बातो के साथ-साथ पूर्व में दिये गये इसी तरह के अनुबंध से अधिक है तो एल-1 बोलीदाता के साथ बातचीत की जा सकती है। यदि बातचीत के बाद कम की गई कीमत को अनुचित माना जाता है तो क्रय प्राधिकारी को लागत/ स्वयं अद्यतन कीमत के आधार पर निकाले उचित मूल्य का, सभी बोली लगाने वालों प्रतिप्रस्ताव रखना चाहिये एवं आपूर्ति के आदेशों को प्रति प्रस्ताव स्वीकार करने वाले बोलीदाता को दिया जाना चाहिए।
2	प्रापण प्रक्रिया के लिए समय सीमा	**क्रय नियमावली**, आरटीपीपी नियम 2013 (नियम 40) के अधीन निर्धारित 70 दिनों की समय सीमा के विरूद्ध निविदाओं की वैद्यता (अनुच्छेद 22.8) के लिए 120 दिनों की समय सीमा प्रदान करती है।
3	पुनरादेश	**आरटीपीपी नियम-2013 के नियम-73** में कहा गया है कि पुनरादेशों को मूल अनुबंध के वस्तुओं के मूल्य का 50 प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन आपूर्तिकर्ताओं को दिया जा सकता है। **क्रय नियमावली के वाक्यांश 23** में कहा गया है कि क्रय प्राधिकारी कारणों को उल्लेखित करने के बाद मूल आदेशित मात्रा के 15 प्रतिशत के बराबर मात्रा के लिए समान आपूर्तिकर्ताओं पर पुनरादेशों की नियुक्ति के अनुमोदन का अधिकार सुरक्षित रखता है एवं सक्षम क्रय समिति की स्वीकृति प्राप्त करता है बशर्ते मूल आदेश की निर्धारित आपूर्ति की अंतिम तिथि से तीन महीने की समाप्ति के बाद ऐसे आदेश नहीं दिए जाएंगे। साथ ही, सीएलपीसी को लिखित में कारणों को अभिलेखित करने के पश्चात मूल आदेशों की मात्रा तक किसी भी मात्रा के क्रय को अनुमोदित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
4	आदेश के समय एक से अधिक	**आरटीपीपी नियम-2013 के नियम 74** में यह कहा गया है कि जब यह समझा जाये कि प्राप्त की जाने वाली प्रापण की विषयवस्तु की मात्रा बहुत अधिक है एवं इस संपूर्ण मात्रा का

	बोली लगाने वालों के मध्य मात्रा का आवंटन	प्रदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी है या जब यह समझा जाये कि प्राप्त की जाने वाली प्रापण की विषयवस्तु गम्भीर एवं महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में मात्रा को उस बोली लगाने वाले, जिसकी बोली स्वीकार की गयी है एवं द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में ओर भी बोली लगाने वालों के मध्य,उस बोली लगाने वाले की दरों पर जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, उचित, पारदर्शी और साम्यपूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। **क्रय नियमावली के वाक्यांश 10.23** में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों के लिए बोली लगाने वालों के मध्य विभिन्न अनुपातों में मात्रा को वितरित करने का प्रावधान है।
5	सुरक्षा जमा राशि	**जीसीसी के वाक्यांश 1.59** में आपूर्तिकर्ताओं से सुरक्षा जमा के रूप में आदेश मूल्य का 2% स्वीकार करने का प्रावधान है। यद्यपि, **आरटीपीपी अधिनियम-2012/नियम-2013** में ऐसा कोई प्रावधान मौजूद नहीं है।
6	प्रापण/बोली प्रक्रिया से निकासी पर आपूर्तिकर्ता पर दंड	**आरटीपीपी अधिनियम-2012 की धारा 42 की उपधारा (2)** बोली लगाने वाला जो-(क) वित्तीय बोलियों के खुलने के पश्चात प्रापण प्रक्रिया से हटता है: (ख) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात प्रापण प्रक्रिया से हटता है: (ग) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात प्रापण संविदा करने में असफल होता है (घ) सफल बोली लगाने वाला घोषित होने के पश्चात बोली लगाने वाले दस्तावेजों के निबंधनों में अपेक्षित, कार्यसंपादन प्रतिभूति या कोई अन्य दस्तावेज या प्रतिभूति उपलब्ध करवाने में, वैध आधारों के बिना असफल रहता है, वह, बोली लगाने वाले दस्तावेजो या संविदा में उपलब्ध साधन के अतिरिक्त ऐसे दंड से दण्डनीय होगा जो पचास लाख रूपये या प्रापण के निर्धारित मूल्य के दस प्रतिशत, जो भी कम हो, तक का हो सकेगा। **कम्पनीयों के जीसीसी** में प्रावधान है (नियम 1.24) कि ईएमडी जब्त/विक्रेता पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं आदेश जारी होने की दिनांक से ऐसी फर्म का अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिये व्यापार संबंध विच्छेदित कर दिया जायेगा।
7	बोलियों का स्पष्टीकरण	**आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 60(4)** मे प्रावधान है कि किसी अयोग्य बोली लगाने वाले को योग्य बनाने या किसी गैर-प्रत्युत्तरदायी प्रस्तुतिकरण को प्रत्युत्तरदायी बनाने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए योग्य सूचना या प्रस्तुतीकरण में कोई सारभूत परिवर्तन चाहा, प्रस्तावित, या अनुज्ञात नहीं किया जायेगा। **प्रथा के अनुसार**, कंपनी ने बोली लगाने वालों को योग्य आवश्यकताओं की टिप्पणियों/कमियों/विचलन को सूचित किया एवं यदि बोली लगाने वाला इसे पूर्ण करता है/ प्रस्तुत करता है तो बोली लगाने वालो को उत्तरदायी माना जाता है।
8	प्रापण प्रबंधन सूचना (एमआईएस) प्रणाली का रख-रखाव	**आरटीपीपी नियम 2013 के नियम 9** में कहा गया है कि प्रत्येक प्राप्य संस्था प्रापण प्रक्रिया पर नियंत्रण रखने के लिए प्रापण प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस)का विकास और रखरखाव करेगी। आरटीपीपी नियम 2013 में विनिर्दिष्ट प्रावधान होने के पश्चात भी **क्रय नियमावली** में प्रापण प्रक्रिया पर नियंत्रण के लिए एमआईएस के रखरखाव के लिए प्रावधान नहीं किया है ।
9	परीक्षण आदेश	**क्रय नियमावली** में यह कहा गया है कि राजस्थान स्थित आपूर्तिकर्ता यानी नए आपूर्तिकर्ता और साथ ही मौजूदा आपूर्तिकर्ता जो न्यूनतम मात्रा में आपूर्ति किए गए मानदंडों को पूरा करने में विफल रहे लेकिन पर्याप्त एवं आवश्यक विनिर्माण एवं परीक्षण सुविधा एवं निविदा सामग्री का तकनीकी ज्ञान रखते है, वे परीक्षण आदेश के लिए पात्र है। हालांकि, **आरटीपीपी अधिनियम** में परीक्षण आदेश दिये जाने का प्रावधान नहीं है।
10	राजस्थान स्थित फर्मो एवं बाहरी	**आरटीपीपी अधिनियम** में यह प्रावधान है कि उन फर्मो की बोलियों का सारणीकरण करते

	फर्मो की दरों की तुलना	समय जो कीमत अधिमान की हकदार नहीं है, मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए,राजस्थान की फर्मो द्वारा उल्लेखित की गयी दरों से राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर का तत्व अपवर्जित कर दिया जायेगा एवं राजस्थान से बाहर की फर्मो की दरों में केन्द्रीय विक्रय कर का तत्व सम्मिलित किया जायेगा। **क्रय नियमावली** नेट फ्री ऑन रोड़ (एफओआर) गंतव्य मूल्य (सभी करों और बीमा शुल्कों सहित) के आधार पर दरों की तुलना के लिए प्रदत्त है।

अनुबंध-4

(पृष्ठ संख्या 41 पर अनुच्छेद 2.12.2 में संदर्भित)

अनुपयोगी शेष रही सामग्री के स्टॉक को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(मात्रा संख्या में/₹ लाख में)

क्रम संख्या	आपूर्तित वस्तु	निविदा संख्या (टीएन)	क्रय आदेश की दिनांक	आदेशित मात्रा	31 मार्च 2018 तक शेष रहा स्टॉक	
					मात्रा	मूल्य
1	33 केवी लाइन डीपी सेट	947	22.01.16	1000	171	13.35
2	11 केवी डिस्क इन्सुलेटर	1185	18.09.15	75000	54076	155.17
3	11 केवी डिस्क इन्सुलेटर के लिए हार्डवेयर फिटिंग	4475	23.03.15	51577	51957	233.52
		1198	12.01.16	40000		
4	एमसीसीबी थ्री फेस 40 एएमपी	970	05.12.15	28789	8200	81.57
5	एमसीसीबी थ्री फेस 32 एएमपी	970	05.12.15	28789	4170[2]	41.48
6	एमसीसीबी सिंगल फेस 135 एमपी	2284	22.08.14	120000	8271	48.70
		970	05.12.15	5344		
7	एमसीसीबी सिंगल फेस 80 एएमपी	970	05.12.15	8226	4669	23.38
	कुल					**597.17**

2 कुल स्टॉक (10072) - आगामी टीएन-1087 में स्टॉक (5902)

अनुबंध-5

(पृष्ठ संख्या 68 पर अनुच्छेद 2.19.11 में संदर्मित)

निष्क्रिय सामग्री के प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण -पत्र

केस 1: स्टील स्टे सैट्स के उच्च अंतिम शेष का संधारण

सभी एसीओएस के पास 11528 को 2013 मार्च 31 स्टील स्टे सैट्स (हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड) का शेष था। एसीओएस ने वर्ष 2013-18 के दौरान आपूर्तिकर्ताओं से 163399[3] स्टील स्टे सैट्स की आपूर्ति प्राप्त की एवं 152314[4] स्टील स्टे सैट्स अपने क्षेत्राधिकार के अधीन उपखंडों को जारी किए। इस प्रकार, 22613 स्टील स्टे सैट्स 31 मार्च 2018 को अप्रयुक्त रहे। स्टील स्टे सैट्स की प्राप्ति एवं जारी करने की प्रवृति के विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि स्टील स्टे सैट्स की मासिक आवश्यकता के विरुद्ध एसीओएस द्वारा संधारित किए गए अंतिम शेष वर्ष 2013-14 के दौरान 3.30 माह के समान रहे।

हमने अवलोकन किया कि एसीओएस द्वारा संधारित किए गए स्टील स्टे सैट्स के अंतिम शेष वर्ष 2014-18 के दौरान तेजी से बढ़े एवं असाधारण रूप से उच्च रहे क्योंकि उस अवधि के दौरान 10.47 और 48.45 माह उपभोग के मध्य रहा। हमने अवलोकन किया कि कंपनी ने लगातार अपने कोष अवरुद्ध रखे एवं प्रापण के संबंधित वर्ष के स्थान पर प्राप्त स्टील स्टे सैट्स अगले वर्ष में उपयोग किए। तथ्यों से यह भी सिद्ध होता है कि वर्ष 2013-18 के दौरान कंपनी द्वारा संधारितकिए गए अंतिम शेष ₹ 1.84 करोड़[5] और ₹ 4.26 करोड़[6] के मध्य रहे।

केस 2 : एमसीसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स का उपयोग नहीं होना

एसीओएस अजमेर सिटी के पास 31 मार्च 2006 को 3002 माउलडेड केस सर्किट ब्रेकर (एमसीबी) डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स (40 एम्पीयर) का शेष था। एसीओएस अजमेर सिटी ने व्रष 2006-07 के दौरान 29 एमसीसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज की ओर आपूर्ति प्राप्त की। एसीओएस अजमेर सिटी ने मार्च 2018 तक कुल 3031 एमसीसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज में से 1126 (वर्ष 2006-07 में 515, वर्ष 2014-15 में 109 और वर्ष 2015-16 में 271) एमसीसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज जारी किए। हमने देखा कि 8 वर्षों की अवधि अर्थात 2007-11, 2012-14 एवं 2016-18 के दौरान एमसीसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज की कोई मात्रा उपयोग नहीं की गई थी एवं शेष 1905 एमसीसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज एसीओएस अजमेर सिटी के पास रखे रहे (मार्च 2018)। हमने अवलोकन किया कि 11 वर्ष से अधिक समय व्यतित हो जाने के पश्चात भी एसीओएस ₹ 28.46 लाख की कीमत के शेष 1905 एमसीसीबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेज का उपयोग सुनिश्चित नहीं कर सका। इन बॉक्सेज की समय पर उपयोग की अनुपस्थिति में, गुणवत्ता में गिरावट की संभावनाओं से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है।

केस 3: एलटी-सीटी मीटर्स का उपयोग नहीं होना

कंपनी ने जीनस इनोवेशन लिमिटेड को टीएन-819 के अधीन थ्री फेस लो टेंशन करंट ट्रांसफॉर्मर एलटी-सीटी मीटर्स की आपूर्ति का आदेश (अक्टूबर 2015) दिया। क्रयादेश के वाक्यांश 8 के अनुसार, इन मीटर्स की वारन्टी संस्थापन की तिथि से पांच वर्ष अथवा पिछले प्रेषण की प्राप्ति की तिथि से साढे पांच वर्ष, जो भी दोनों में पहले होगी।

हमने देखा कि 2100 एं 2800 एलटी-सीटी मीटर्स की आपूर्ति क्रमशः एसीओएस सीकर और अजमेर सिटी द्वारा

---

3 2013-14 में 76183, 2014-15 में 75107, 2015-16 में 4332, 2016-17 में 5101 एवं 2017-18 में 2676 ।

4 2013-14 में 68797, 2014-15 में 50221, 2015-16 में 11250, 2016-17 में 8334 एवं 2017-18 में 13712 ।

5 मार्च 2014 में 18914 @ ₹ 972.98

6 मार्च 2015 में 43800 @ ₹ 972.98

प्राप्त (मार्च 2016) की गई। तथापि एसीओएस सीकर और अजमेर सिटी मार्च 2018 तक क्रमशः 438 और 837 एलटी-सीटी मीटर्स का उपयोग सुनिश्चित कर सके। इस प्रकार, इन मीटर्स प्राप्ति के 2 वर्ष से अधिक समय व्यतित हो जाने के उपरांत भी एसीओएस के पास ₹ 96.06 लाख की कीमत के 3625 एलटी-सीटी मीटर्स[7] अनुपयोगी रखे रहे।

केस 4: सामग्री का उपयोग नहीं होना

एसीओएस उदयपुर के अभिलेखों की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एसीओएस सीकर ने ₹ 26.08 लाख और ₹ 32.95 लाख मूल्य के क्रमशः- सपोर्ट स्ट्रक्चर तथा कंट्रोल एवं रिले पैनल के साथ 12 केवी वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एवं सात[8] अन्य मद एसीओएस उदयपुर को हस्तान्तरण किये (जून 2012 और अगस्त 2012)। एसीओएस उदयपुर ने टीएन 1995 के अधीन ₹ 93.34 लाख रुपये की कीमत की संपूर्ण सामग्री उपयोग नहीं की जा सकी (मई 2017)। वितरण प्रणाली में सामग्री का उपयोग करने की संभावनाओं की अनुपस्थिति में, एसीओएस उदयपुर ने सामग्री को दूसरे स्टेट पीएसयू (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड) में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव रखा (मई 2017) लेकिन अभिलेखों पर कोई निर्णय नहीं मिला। इस प्रकार, 5 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के उपरान्त भी एसीओएस उदयपुर सामग्री का उपयोग सुनिश्चित नहीं कर सकता एवं मार्च 2018 तक एसीओएस के पास सामग्री शेष रही।

केस 5: टर्नकी ठेकेदारों से गैलवेनाइज्ड आयरन वायर को स्वीकार करना

कंपनी ने गैलवेनाइज्ड आयरन (जीआई) वायर के अलग से क्रय को बंद कर दिया क्योंकि यह एबी केबल के साथ आता था एवं अंतिम बार टीएन-264 के अधीन नवंबर 2007 में जीआई वायर का क्रय किया गया था। डीसीएफ ने डिस्कॉम्स को टर्नकी ठेकेदारों से अधिशेष सामग्री के रूप में जीआई वायर को स्वीकार नहीं करने के लिए निर्देशित किया (अगस्त 2010)। यद्यपि, कंपनी ने अनुबंध के समय से पूर्व समापन के कारण टर्नकी ठेकेदारों से अधिशेष जीआई वायर स्वीकार करना बंद नहीं किया। डीसीएफ के निर्देशों के उल्लंघन करते हुए टर्नकी ठेकेदारों से स्वीकार की गई कुल जीआई वायर की मात्रा को मांगी हुई सूचना/आंकड़ों के अभाव में पता नहीं लगाया जा सका। हालांकि हमने देखा कि एसीओएस के पास ₹ 2.67 करोड़ की कीमत के 834.44 एमटी (8 एसडब्ल्यूजी) जीआई वायर का कुल अप्रयुक्त सामग्री शेष (मार्च 2017) है। अभिलेखों की जांच के दौरान हमने देखा कि एसीओएस अजमेर सिटी ने डीसीएफ के निर्देशों के उल्लंघन करते हुए अगस्त 2014 से अक्टूबर 2014 तक ₹ 9.82 लाख मूल्य की 18.56 एमटी जीआई वायर स्वीकार की।

7 कुल प्राप्त मीटर्स (4900)- कुल प्रयुक्त मीटर्स (438+837=1275)

8 केपेसीटर बैंक्स के सपोर्ट स्ट्रक्चर, 11 केवी पिन इनसुलेटर, पावर ट्रांसफॉर्मर, केपेसीटर बैंक्स, बैटरी चार्जर, कंट्रोल एवं रिलेपैनल एवं 12 केवी वीसीबी

अनुबंध-6

(पृष्ठ संख्या 72 पर अनुच्छेद 2.20.5 में संदर्भित)

टर्नकी ठेकेदारों से अधिशेष सामग्री को स्वीकार करने संबंधित प्रकरणों को दर्शाने वाला विवरण पत्र

केसः1- स्विच फ्यूज यूनिट्स (एसएफयूज) में अवरूद्ध किये हुये कोष

अभिलेखो की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि एफआरपी के अन्तर्गत टर्नकी ठेकों के क्रियान्वयन में कुछ प्रकरणों में एसएफयूज के सीमित उपयोग के कारण टर्नकी ठेकेदारों के पास अधिशेष पड़े रहे एवं तदनुसार कंपनी ने टर्नकी ठेकों के समापन के दौरान ₹ 2.87 करोड़ मूल्य के 1744 थ्री फेज एसएफयूज और ₹ 1.27 करोड़ मूल्य के 3301 सिंगल फेज एसएफयूज को स्वीकार किया। तत्पश्चात, इन एसएफयूज के उपयोग का निर्णय लेने के प्रकरण को तकनीकी समिति के समक्ष रखा (जून 2013) गया। तकनीकी समिति ने 24 घण्टे आपूर्ति वाली शहरी एवं नगरपालिका कस्बों के फीडर्स में थ्री फेज एस एफ यूज तथा केवल आबादी क्षेत्र में सिंगल फेज एसएफयूज को उपयोग करने की अनुशंसा की।

हमने देखा कि कंपनी के द्वारा ठेकेदारों को केवल थ्री फेज एसएफयूज को अनुमत करने के उपरान्त भी सिंगल फेज एसएफयूज को स्वीकार किया। हमने यह भी देखा कि मार्च 2018 तक एसीओएस के पास ₹ 1.24 करोड़[9] मूल्य की कीमत के एसएफयूज अप्रयुक्त पड़े थे जबकि शेष एसएफयूज उपखण्डीय स्टोर्स को जारी किये गये थे। आवश्यक सूचना के अभाव में क्षेत्र कार्यालयों को जारी किये गये एसएफयूज का उपयोग की स्थिति का पता नहीं लगाया जा सका है।

सरकार ने उन तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफॉर्मर की चोरी रोकने के कारण एसएफयूज का उपयोग धीमा था और एक महीने के भीतर शेष एसएफयूज का उपयोग करने का आश्वासन दिया। (जुलाई 2018)

केस 2: सीटीएल जांच के बिना अधिशेष सामग्री को स्वीकार करना

डिस्कॉम के अध्यक्ष ने दिशानिर्देश (फरवरी 2009) जारी किए कि सीटीएल जाँच सफल होने के बाद ही टर्नकी ठेकेदारों से अधिशेष सामग्री को स्वीकार किया जाये। अभिलेखो की समीक्षा के दौरान एक उदाहरण देखा जहाँ टीएन-177 और 179 के अधीन जारी किये गये कार्यादेशों के अनुसार टर्नकी ठेकेदार (जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड) द्वारा 16 केवीए डीटीज की आपूर्ति करनी थी। जीपी असफल डीटीज के प्रतिस्थापन के लिए पांच साल की गारण्टी अवधि कार्यादेशो द्वारा प्रदान की गई। हमने देखा कि एसीओएस चित्तौड़गढ़ ने ₹ 0.56 करोड़ मूल्य के 169 अधिशेष डीटीज स्वीकार (मई 2015) किये जिनकी मई 2011 तक आपूर्ति की गई थी। हमने देखा कि कंपनी ने टर्नकी ठेकों के अंतिमीकरण में देरी के कारण अधिशेष डीटी को समय पर जमा करना सुनिश्चित नहीं किया एवं ठेकेदार द्वारा जमा की गई अधिशेष डीटीज को इन डीटीज की आपूर्ति के चार वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने के पश्चात स्वीकार किया। इसलिए गारण्टी अवधि का अधिकतम समय इन डीटीज के उपयोग के बिना ही निकल गया। साथ ही, निर्धारित नियमों के अनुसार सीटीएल जांच के बिना ही वितरण ट्रांसफार्मर्स को स्वीकार किया गया।

सरकार/ कंपनी ने लगभग सम्पूर्ण गारण्टी अवधि के व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अधिशेष वितरण ट्रांसफार्मर्स को स्वीकार करने के लिए कोई उत्तर नहीं दिया।

केस 3: सीटीएल जांच के लिए गठित समिति में असाधारण देरी

शहरी केन्द्र कार्यक्रम के अधीन कार्य की आपूर्ति एवं निर्माण के प्रकरण में कंपनी ने टीएन-172 के अंतर्गत मै.रैकेम आरपीजी (ठेकेदार) पर कार्यादेश किये (अक्टूबर 2007) एवं कार्य के निष्पादन के पश्चात ठेकेदार ने अधिशेष सामग्री को संबंधित एसीओएस (उदयपुर) को जमा करवाया (मार्च 2012)। एसीओएस उदयपुर ने एसई (ओएण्डएम) को ठेकेदार द्वारा जमा की गई अधिशेष सामग्री के बारे में सूचित(अक्टूबर 2014/फरवरी 2015) किया। तथापि, एसई (ओ एण्ड एम) ने सीटीएल जांच द्वारा सामग्री की स्वीकृति के लिए समिति नियुक्त नहीं की। तत्पश्चात, एसीओएस उदयपुर ने एसई (टीडब्ल्यू) को सूचित(सितम्बर 2016) किया कि सम्पूर्ण जमा की गई

9 ₹ 18.17 लाख मूल्य के सिंगल फेज एसएफयूज और ₹ 1.06 करोड़ मूल्य के थ्री फेज एसएफयूज

सामग्री (केबल के 30 ड्रम्स सहित) में से 4सी X 6 वर्ग मीटर केबल के केवल 10 ड्रम्स उपयोग के योग्य थे। हमने यह भी देखा कि कंपनी ने कार्य आदेश के प्रावधानो के अनुसार मई 2010 तक ₹ 10.89 लाख (अर्थात् सामग्री के मूल्य का 40 प्रतिशत) की राशि का पहले ही भुगतान कर दिया था। इसके बावजूद, कंपनी ने सामग्री की उपयोगिता का आंकलन करके एवं ठेकेदार से अनुपयोगी सामग्री की लागत को समायोजित/वसूलने के लिए जमा की गई अधिशेष सामग्री के लिए उचित एवं समय पर कार्यवाही नहीं की।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और कहा कि आपूर्तिकर्ता से उपलब्ध वित्तीय राशि से उपर्युक्त वसूली की जायेगी।

केस 4: उचित अनुमोदन एवं सीटीएल जांच के बिना केबल और कण्डक्टर्स की स्वीकृति

कंपनी ने टीएन-152,153 एवं 161 के अंतर्गत ज्योति स्ट्रक्चर लिमिटेड (ठेकेदार) को फीडर रेनोवेशन प्रोग्राम (एफआरपी) के लिए सामग्री आपूर्ति एवं निर्माण कार्य के लिए कार्य प्रदान किये (2007)। तत्पश्चात, प्रबन्ध संचालक ने तीन अधीक्षण अभियंताओ (ओएण्डएम)[10] को दिशानिर्देश जारी (3 दिसम्बर 2012) किये कि कण्डक्टर और केबल्स की टीएन-126,151,152 एवं 153 के अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा अधिशेष सामग्री जमा करने के समय जांच की जानी थी। तीन निविदाओं (टीएन-151 से 153) की स्थिति में ठेकेदार ने उपखण्डीय स्टोर्स पर अधिशेष सामग्री जमा की । संबंधित एसई (ओएण्डएम) के प्रस्ताव पर प्रबन्ध निदेशक ने उपखण्डों में ठेकेदार द्वारा जमा किए गए केबल एवं कण्डक्टर्स की सीटीएल जांच को माफ कर दिया (नवम्बर 2013) क्योंकि सामग्री पहले से ही उपयोग में आ गई थी।

एसई (टीडब्ल्यू) के दिशानिर्देशों के अनुसार, अधिशेष सामग्री को संबंधित एसीओएस में जमा किया जाना था या उपखण्डों में जमा की गई सामग्री संबंधित एसीओएस एवं रसीद किए गए माल जमा पत्रों (एमसीएन) के माध्यम से संबंधित एसीओएस द्वारा नियमित रूप से सत्यापित कर वरिष्ठ लेखा अधिकारी (केन्द्रीय भुगतान सेल) को प्रस्तुत करना था ।

हमने देखा कि उपखण्डों ने, एसई (टीडब्ल्यू) के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 8.56 करोड़[11] मूल्य की सामग्री जमा की और एसई (टीडब्ल्यू) की अनुमति के बिना सम्पूर्ण जमा सामग्री का उपयोग किया। हमने यह भी देखा कि ₹ 1.05 करोड़ की सामग्री को सीटीएल जांच के बिना स्वीकार एवं उपयोग किया था। साथ ही, सामग्री जमा की गई थी और उचित प्रक्रिया को अपनाए बिना ही पुनः उसी दिन जारी किया गया, इस तथ्य को देखते हुए सामग्री के दुरूपयोग की संभावना से इंकार नहीं जा सकता था ।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं कहा कि सामग्री को उपखण्डीय स्तर पर सामग्री की अत्यन्त कमी के कारण उचित अनुमोदन एवं सीटीएल जांच के बिना स्वीकार एवं उपयोग किया गया था। साथ ही इसने कहा कि इस तथ्य को देखते हुए पहले से उपयोग की गई सामग्री की सीटीएल जांच सुनिश्चित नहीं की जा सकती थी, इसलिए सक्षम प्राधिकारी की आवश्यक स्वीकृति प्राप्त की गई।

10 राजसमंद,उदयपुर और झुन्झुनू

11 ₹ 3.37 करोड़ (टीएन - 152), ₹ 1.50 करोड़ (टीएन - 153) और ₹ 3.69 करोड़ (टीएन - 161)

अनुबंध-7
(पृष्ठ संख्या 76 पर अनुच्छेद 2.22.2 में संदर्भित)
अप्रयुक्त सामग्री की घटनाओं को दर्शाने वाला विवरण पत्र

केस 1: उतारे गये ट्रांसफॉर्मर्स का उपयोग/ निपटान न होना

कंपनी ने फीडर नवीनीकरण कार्यक्रम (एफ आर पी) के अन्तर्गत उतारे गये माल को संबंधित स्टोर्स में जमा कराने के निर्देश (अगस्त 2006) जारी किये। कंपनी ने उतारे गये माल की स्थिति की समीक्षा एवं इसके पुनः उपयोग अथवा माल को स्क्रैप घोषित करने के लिए एक कमेटी बनाने के लिए भी निर्देशित किया । कंपनी ने एफआरपी के अन्तर्गत उतारे गये ट्रांसफॉर्मर्स के स्टोर्स में पडे रहने की स्थिति जानने के लिए प्रत्येक वृत कार्यालय में एक तीन[12] सदस्य कमेटी का गठन कार्यालय आदेश (नवम्बर 2011) के द्वारा किया एवं कमेटी से रिपोर्ट दस दिन के अन्दर संबंधित अधिशासी अभियंता (ओएण्डएम) को प्रस्तुत करना अपेक्षित था।

प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में विभागो के प्रमुखो की बैठक में, यह आंकलन किया गया कि एफआरपी के अंतर्गत हटाये गये ट्रांसफॉर्मर्स बहुत समय से अप्रयुक्त पड़े हुए है एवं इनमें से कुछ ट्रांसफॉर्मर्स की सीएलआरसी दर पर मरम्मत/रद्दोबदल करने के बाद फील्ड में उपयोग की संभावना व्यक्त की गई। वस्तु स्थिति परखने के लिए कुछ ट्रांसफॉर्मर्स की जांच एवं वृत्त स्टोर्स में पड़े हुए ट्रांसफॉर्मर के उपयोग / अनुपयोगी की छँटाई हेतु एक कमेटी[13] का गठन किया गया। संबंधित एसई (ओएण्डएम) एवं एसीओएस उपयोगी ट्रांसफॉर्मर की मरम्मत / रद्दोबदल आरम्भ करना था एवं तदनुसार ट्रांसफॉर्मर्स को फिल्ड में जारी करना था। शेष रहे अनुउपयोगी ट्रांसफॉर्मर्स को स्क्रैप में बदलने की प्रक्रिया डीसीओएस द्वारा आरंभ करनी थी । एसीओएस द्वारा संगृहित की गई सूचना के अनुसार, एफआरपी के अंतर्गत 2266[14] ट्रांसफॉर्मर्स उतारे गये एवं एसीओएस में जमा किया गया। सभी एसीओएस ने यह बताया(नवम्बर 2017) कि जमा किये गये विभिन्न वितरण ट्रांसफॉर्मर्स पुराने थे एवं एफआरपी कार्यो के दौरान उपयोग करने योग्य थे। यह भी सूचित किया गया कि ये ट्रांसफॉर्मर्स बिना ऑयल के जमा किये गये एवं सभी की बुशिंग टूटी हुई थी, ट्रांसफॉर्मर्स का मूल भाग मुडा हुआ था एवं इन ट्रांसफॉर्मर्स की इस अवस्था में मरम्मत नहीं हो सकती थी। इन ट्रांसफॉर्मर्स को स्क्रैप में बदलने एवं ई-ऑक्शन द्वारा बिक्री करने के उच्च प्राधिकारियों के अनुमोदन हेतु केस की कार्यवाही करने के लिए अतिरिक्त मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा निर्देशित किया गया । यदि कंपनी ने समय रहते इन ट्रांसफॉर्मर्स की मरम्मत अथवा स्क्रैप के रूप निस्तारित करने का निर्णय कर लिया होता, नवीनतम नीलामी मूल्य के अनुसार ₹ 1.99 करोड़ का राजस्व अर्जित कर लिया होता।

केस 2: एमोरफॉस एवं कॉपर वाउण्ड ट्रांसफॉर्मर्स

सीएलपीसी ने निधियों को प्राप्त करने एवं भण्डार में स्थान को खाली करने के लिए 5 केवीए एवं 25 केवीए रेटिंग के कॉपर वाउण्ड ट्रांसफॉर्मर की नीलामी का निर्णय लिया (मार्च 2016)। लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2016 में नीलामी आयोजित करने के बावजूद, एमएम विंग ने सीएलपीसी से अनुमोदन के समय 191 (25 केवीए) ट्रांसफॉर्मर के स्टॉक पर विचार नहीं किया था, इसलिए सितम्बर 2009 से स्टोर्स में पड़े इन ट्रांसफॉर्मर के निपटान के संबंध मे कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। यदि कंपनी ने मरम्मत या निपटान का निर्णय लिया होता तो नवीनतम नीलामी मूल्य पर ₹ 4.30 करोड़ के राजस्व को प्राप्त किया जा सकता था।

केस 3: गारन्टी अवधि के पश्चात खराब हुए 5 केवीए के डीटी का मरम्मत न होना

सीएलपीसी ने निर्णय (फरवरी 2017) लिया कि गारंटी अवधि के पश्चात खराब हुए 5 केवीए के डीटी की मरम्मत नहीं करवाई जायेगी(टीएन-903)। हालांकि, गारन्टी अवधि के पश्चात खराब हुए 5 केवीए के डीटी की मरम्मत पर फरवरी 2017 तक कोई प्रतिबंध नहीं था। अभिलेखों की समीक्षा के दौरान हमने देखा कि एसीओएस सीकर ने 2013-17 के दौरान 4448 गारन्टी अवधि के पश्चात खराब 5 केवीए के डीटी प्राप्त किये लेकिन एसीओएस एवं एसई (ओएण्डएम) के द्वारा इन खराब डीटी को सही नहीं कराया गया था। हमने आगे देखा कि एसीओएस सीकर ने

---

12 संबंधित वृत्त कार्यालयों के अधीक्षक अभियंता के तकनीकी सहायक , सलेअ/लेखाकार एवं एसीओएस

13 संबंधित वृत्त कार्यालयों के एक्सईएन (ओएण्डएम) एवं अधीक्षक अभियंता के तकनीकी सहायक (ओएण्डएम), डिसीओएस/एक्सईएन (स्कैप), संबंधित एसीओएस एवं सलेअ (राजस्व)

14 सीकर (1049), चित्तौडगढ़ (966), झुन्झुनू(178), अजमेर शहर वृत्त (64) एवं अजमेर जिला वृत्त (9)

इस अवधि के दौरान 8856 नये 5 केवीए डीटी प्राप्त किये एवं उपखण्डों को जारी किये। यह प्रदर्शित करता है कि 2013-17 के दौरान एसीओएस के पास 5 केवीए डीटी की पर्याप्त मांग थी। इस प्रकार, 5 केवीए गारंटी अवधि पार खराब डीटी की गैर मरम्मत के परिणामस्वरूप नये ट्रांसफॉर्मर्स का क्रय करना पडा। हमने यह भी देखा कि कंपनी ने एसीओएस में पड़े हुए इन खराब डीटी के संबंध में मार्च 2018 तक कोई निर्णय नहीं लिया था।

केस 4: पावर ट्रांसफार्मर्स का सर्वेक्षण एवं नीलामी

अनुपयोगी वस्तुओ की समीक्षा के दौरान पाया गया कि 36 अनुपयोगी पावर ट्रांसफॉर्मर्स (पीटी) स्टोर्स में पडे हुए थे जिनका आकंलन मूल्य ₹ 2.11 करोड़ था। इनमे से, नौ एवं 13 पावर ट्रांसफॉर्मर्स क्रमशः एक से दो साल एवं दो साल से अधिक की सीमा तक पड़े हुए थे। आगे, एक 2.5 एमवीए पीटी एवं दो 3.15 एमवीए पीटी क्रमशः जून 2014, दिसम्बर 2016 एवं सितम्बर 2017 में मरम्मत के लिए अमितव्ययी घोषित किये गये। हालांकि, ये अनुपयोगी पीटी सर्वे रिपोर्टस मे सम्मिलित नहीं किये गये एवं इन पीटी के मूल्य का आंकलन नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप, ये तीन पीटी मार्च 2018 तक छह महीने से 45 महीने के अंतराल की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी नीलामी के लिए नहीं रखे जा सके। इस प्रकार, स्क्रैप ट्रांसफॉर्मर्स को रद्दी सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित करने एवं नीलामी में रखने में देरी के कारण राजस्व वसूली में देरी के साथ स्टोर्स में स्थान का घेराव भी हुआ।

अनुबंध-8

(पृष्ठ संख्या 84 पर अनुच्छेद 3.1.6 में संदर्भित)

मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा ट्रांसफॉर्मर्स की आवश्यकता का मूल्यांकन, प्रापण, नियोजन और प्रबंधन समिति (पीपीएमसी) द्वारा अनुमोदित मात्रा, मात्रा जिसके लिए निविदाएं आमंत्रित की गई थी एवं मात्रा जिसके लिए 2015-18 की अवधि के दौरान जेवीवीएनएल द्वारा क्रय आदेश जारी किए गए थे को दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्र. सं.	वितरण ट्रांसफॉर्मर के प्रकार	मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा मात्रा का आंकलन (संख्या में)	पीपीएमसी द्वारा स्वीकृत की गई मात्रा (संख्या में)	आवश्यकता और अनुमोदित मात्रा के अनुसार निविदा को आमंत्रित किया गया	पीपीएमसी द्वारा अनुमोदित मात्रा तथा जारी एनआईटी में अन्तर	मात्रा जिसके लिए पीओ जारी किया गया	अनुमोदित मात्रा और पीओ में अन्तर	पीओ के विरूद्ध अनुमोदित मात्रा से जारी पीओ में अन्तर प्रतिशत में
	2015-16							
	11/0.4 एम एण्ड पी बॉक्स के साथ थ्री फेज डीटीः							
1	10 केवीए	8032	8000	10000	2000	9501	+1501	19
2	16 केवीए	37698	45000	45000	-	38404	-6596	(15)
3	25 केवीए	9711	10000	अजमेर	-	9912	-88	(1)
4	40 केवीए	3938	2500	2500	-	1522	-978	(39)
5	40 केवीए बॉक्स रहित	392	-	-	-	-	-	-
6	63 केवीए बॉक्स रहित	1211	1100	1100	-	1085	-15	(1)
7	100 केवीए बॉक्स रहित	472	1200	1200	-	1141	-59	(5)
8	160 केवीए बॉक्स रहित	302	600	600	-	567	-33	(6)
9	500 केवीए बॉक्स रहित	23	23	23	-	23	-	-
	6.35 केवी/230 वोल्ट सिंगल फेज डीटीः							
10	25 केवीए बॉक्स रहित	10581	5580	5580	-	-	-5580	(100)
11	16 केवीए बॉक्स रहित	8406	5630	14442	8812	9021	+ 3391	60
12	10 केवीए बॉक्स रहित	143	14461	14461	-	9477	-4984	(34)
13	5 केवीए बॉक्स रहित	8862	15563	15563	-	15508	-55	-
	2016-17							
	11/0.4 एम एण्ड पी बॉक्स के साथ थ्री फेज डीटीः							
1	10 केवीए	17862	15000	20381	5381	-	-15000	(100)
2	16 केवीए	-	29385	अजमेर	-	29883	-498	-
3	25 केवीए	7540	10000	अजमेर	-	6846	-3154	(21)
4	40 केवीए	4485	1500	600	- 900	600	-900	(60)

क्र. सं.	वितरण ट्रांसफॉर्मर के प्रकार	मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा मात्रा का आंकलन (संख्या में)	पीपीएमसी द्वारा स्वीकृत की गई मात्रा (संख्या में)	आवश्यकता और अनुमोदित मात्रा के अनुसार निविदा को आमंत्रित किया गया	पीपीएमसी द्वारा अनुमोदित मात्रा तथा जारी एनआईटी में अन्तर	मात्रा जिसके लिए पीओ जारी किया गया	अनुमोदित मात्रा और पीओ में अन्तर	पीओ के विरूद्व अनुमोदित मात्रा से जारी पीओ में अन्तर प्रतिशत में
5	40 केवीए बॉक्स रहित	2426	-	-	-	-	-	-
6	63 केवीए बॉक्स रहित	3360	1500	1500	0	1500	0	-
7	100 केवीए बॉक्स रहित	2885	1800	1800	0	1800	0	-
8	160 केवीए बॉक्स रहित	1680	1000	1000	0	1000	0	-
9	250/315 केवीए बॉक्स रहित	727	500	500	0	370	-130	(28)
10	500 केवीए बॉक्स रहित	140	30	30	15	15	-15	(50)
	6.35 केवी/230 वोल्ट सिंगल फेज डीटी:							
11	25 केवीए बॉक्स रहित	3918	4000	4000	0	-	-4000	(100)
12	16 केवीए बॉक्स रहित	5327	5000	5000	0	-	-5000	(100)
13	5 केवीए बॉक्स रहित	2570	-	–	-	15000	+15000	
	2017-18							
	11/0.4 एम एण्ड पी बॉक्स के साथ थ्री फेज डीटी:							
1	10 केवीए	2544	10000	10000 (2016-17)	0	10000	0	-
2	16 केवीए	28287	28000	20000	-8000	20000	-8000	(29)
3	25 केवीए	19207	19000	5700	-13300	5700	-13300	(70)
4	40 केवीए	1957	2000	2000	0	2000	0	-
5	40 केवीए बॉक्स रहित	-	-	-	-	-	-	-
6	63 केवीए बॉक्स रहित	568	1000	500	-500	500	-500	(50)
7	100 केवीए बॉक्स रहित	1509	1500	750	-750	750	-750	(50)
8	160 केवीए बॉक्स रहित	373	700	210	-490	210	-490	(70)
9	250/315 केवीए बॉक्स रहित	448	450	335	-115	335	-115	(26)
10	500 केवीए बॉक्स रहित	28	30	0	-30	0	-30	(100)
	6.35 केवी/230 वोल्ट सिंगल फेज डीटी:							
11	25 केवीए बॉक्स रहित	6379	6500	4875	-1625	4875	-1625	(25)
12	16 केवीए बॉक्स रहित	9486	9500	7125	-2375	7125	-2375	(25)
13	10 केवीए बॉक्स रहित	22454	16000	12000	-4000	7000	-9000	(56)
14	5 केवीए बॉक्स रहित	-	6400	-	-6400	0	-6400	(100)

अनुबंध-9

(पृष्ठ संख्या 84 पर अनुच्छेद 3.1.6 में संदर्भित)

2015-2018 के दौरान जेडीवीवीएनएल द्वारा ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता का आंकलन, अनुमोदित मात्रा, निविदा की मात्रा तथा आदेशित मात्रा को दर्शाने वाला विवरण पत्र

क्रम संख्या	वितरण ट्रांसफॉर्मर के प्रकार	मुख्य अभियंता (एमएम) द्वारा मात्रा का आंकलन (संख्या में)	आरएसी द्वारा स्वीकृत मात्रा	आवश्यकता और अनुमोदित मात्रा के विरुद्ध आमंत्रित निविदा	आरएसी द्वारा अनुमोदित मात्रा तथा जारी एनआईटी में अन्तर	मात्रा जिसके लिए पीओ जारी किया गया	अनुमोदित मात्रा और पीओ में अन्तर	पीओ के विरुद्ध अनुमोदित मात्रा मे भिन्नता की प्रतिशतता
	जेडीवीवीएनएल							
	2015-16							
	11/0.4 एम एण्ड पी बॉक्स के साथ थ्री फेज डीटीः							
1	10 केवीए	0	1050	0	-1050 (-100%)	0	-1050	-100.00
2	16 केवीए	5800	5650	8424	2774	8812	3162	55.96
3	25 केवीए	14547	14547	23819	9272	12059	-2488	-17.10
4	40 केवीए	14404	14404	14404	0	7873	-6531	-45.34
5	63 केवीए	7479	7479	15579	8100	7975	496	6.63
6	100 केवीए	4195	4195	7995	3800	6028	1833	43.69
7	160 केवीए	437	437	152	-285	152	-285	-65.22
8	315 केवीए	280	280	125	-155	125	-155	-55.36
9	500 केवीए	91	91	50	-41	50	-41	-45.05
	6.35 केवी/230 वोल्ट सिंगल फेज डीटीः							
10	25 केवीए	2411	2411	9737	7326 (303.86 %)	5842	3431	142.31
11	16 केवीए	6503	6503	13238	6735	8657	2154	33.12
12	10 केवीए	6803	6803	15044	8241	12458	5655	83.13
13	5 केवीए	14451	14451	8442	-6009	6245	-8206	-56.78

	2016-17							
	11/0.4 एम एण्ड पी बॉक्स के साथ थ्री फेज डीटीः							
1	10 केवीए	1050	1550	3000	1450	2306	756	48.77
2	16 केवीए	5565	5565	5315	-250	5315	-250	-4.49
3	25 केवीए	14316	13866	2306	-11560	2308	-11558	-83.35
4	40 केवीए	14540	14540	6879	-7661	6879	-7661	-52.69
5	63 केवीए	6838	7288	7288	0	2047	-5241	-71.91
6	100 केवीए	3050	3050	3050	0	3050	0	0.00
7	160 केवीए	248	248	463	215	463	215	86.69
8	315 केवीए	192	192	280	88	280	88	45.83
9	500 केवीए	50	50	141	91	3	-47	-94.00
	6.35 केवी/230 वोल्ट सिंगल फेज डीटीः							
10	25 केवीए	2582	2832	4995	2163	827	-2005	-70.80
11	16 केवीए	5121	4621	10066	5445	4535	-86	-1.86
12	10 केवीए	7901	3901	10631	6730	1282	-2619	-67.14
13	5 केवीए	2200	1000	2250	1250	5155	4155	415.50
	2017-18							
	11/0.4 एम एण्ड पी बॉक्स के साथ थ्री फेज डीटीः							
1	10 केवीए	3410	3558	2491	-1067	2491	-1067	-29.99
2	16 केवीए	9338	8971	8971	0	4411	-4560	-50.83
3	25 केवीए	9664	8312	8312	0	0	-8312	-100.00
4	40 केवीए	10270	5823	0	-5823 (-100%)	0	-5823	-100.00
5	63 केवीए	8793	8272	8272	0	8272	0	0.00
6	100 केवीए	5531	5566	5566	0	5343	-223	-4.01
7	160 केवीए	250	234	238	4	0	-234	-100.00
8	315 केवीए	225	218	218	0	0	-218	-100.00
9	500 केवीए	45	48	48	0	35	-13	-27.08

	6.35 केवी/230 वोल्ट सिंगल फेज डीटीः							
10	25 केवीए	1141	1030	773	-257	773	-257	-24.95
11	16 केवीए	2424	2083	1562	-521	0	-2083	-100.00
12	10 केवीए	2013	1126	2491	1365	0	-1126	-100.00
13	5 केवीए	4288	3873	5810	1937	2905	-968	-24.99

अनुबंध-10

(पृष्ठ संख्या 85 पर अनुच्छेद 3.1.7 में संदर्भित)

जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल द्वारा निविदाओं के अंतिमीकरण में देरी को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	निविदा संख्या	मद का नाम	तकनीकी बोलियां/ निविदा को खोलने की तारीख	कीमत बोली को खोलने की तिथि	निविदा अंतिमीकरण की तिथि	क्रय आदेश जारी करने की तिथि	निविदा अंतिमीकरण में लगने वाले कुल दिन	निविदा अंतिमीकरण में 120 दिन से ज्यादा देरी
1	2217	16 केवीए एमएण्डपी बॉक्स के साथ डीटीज	7-अगस्त-13	6-जनवरी-14	12- फरवरी-14	22-अप्रैल-14	258	138
2	2270	16 केवीए 3क्यू एल्युमीनियम वाउण्ड डीटीज	12-नवम्बर-14	28-मई-15	20-जुलाई-15	26-अगस्त-15	287	167
3	2332	63 एण्ड 100 केवीए 3क्यू एल्यूमीनियम वाउण्ड डीटीज	18-फरवरी-16	5-मई-16	9-जून-16	20-जून-16	123	3
4	2335	315 केवीए 3क्यू कॉपर वाउण्ड डीटीज	17-मार्च-16	23-जून-16	19- जुलाई-16	29-अगस्त-16	165	45
5	2359	5 केवीए 1क्यू एल्यूमीनियम वाउण्ड डीटीज	27-अक्टूबर-16	3-फरवरी-17	16-फरवरी-17	29-जून-17	245	125
6	2360	10 केवीए 3क्यू एल्यूमीनियम वाउण्ड डीटीज	18-अक्टूबर-16	22- दिसंबर-16	22-मार्च-17	10-अप्रैल-17	174	54
7	2384	10,16 एवं 25 केवीए 1क्यू एल्यूमीनियम वाउण्ड डीटीज	27-दिसंबर-16	23-फरवरी-17	22-मार्च-17	5-जुलाई-17	190	70
8	2388	25 केवीए 3 फेज डीटीज	10- जनवरी-17	20-अप्रैल-17	24-मई-17	8-जून-17	149	29
9	2390	63 एवं 100 केवीए 3क्यू एल्यूमीनियम वाउण्ड डीटीज	20-दिसंबर-16	20-अप्रैल-17	17-मई-17	26-मई-17	157	37
10	2392	315 केवीए 3क्यू कॉपर वाउण्ड डीटीज	3- जनवरी-17	20-अप्रैल-17	17-मई-17	26-मई-17	143	23
11	2413	315 केवीए 3क्यू कॉपर वाउण्ड डीटीज	3-मई-17	11-अगस्त-17	4-अक्टूबर17	27-अक्टूबर-17	177	57
12	1223	11/0.433 केवी, 3 फेज, 3 स्टार 63 केवीए एल्यूमीनियम वाउण्ड डीटीज	31-मार्च-16	01-जुलाई-16	29-सितम्बर-16	10-अक्टूबर-16	193	73
13	1305	11/0.433, 10 केवीए 3 स्टार ईईएल-2, 3 फेज एल्यूमीनियम वाउण्ड ट्रांसफॉर्मर	28-मार्च-17	29-मई-17	07-जुलाई-17	30-अगस्त-17	183	63
14	1203	11/3 केवी/240 वो. सिंगल फेज 5 केवीए कॉपर वाउण्ड	08-सितम्बर-15	16-नवम्बर-15	19-मार्च-16	20-फरवरी-17	531	411
15	1222	11/3 केवी/240 वो 100 केवीए 3 फेज डीटी एमएण्डपी बॉक्स के साथ	30-मार्च-16	09-जून-16	02-अगस्त-16	11-सितम्बर-16	165	45

अनुबंध-11

(पृष्ठ संख्या 86 पर अनुच्छेद 3.1.8 में संदर्भित)

जेवीवीएनएल एवं जेडीवीवीएनएल में वितरण ट्रांसफॉर्मर (डीटी) की गैर आपूर्ति मात्रा के लिए लगाए जाने वाले जुर्माने को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र.सं.	फर्म का नाम	निविदा संख्या	क्रय आदेश संख्या	डिलिवरी अनुसूची की समाप्ति की तारीख	डीटी की आदेशित मात्रा (संख्या में)	डीटी की गैर आपूर्ति मात्रा (संख्या में)	एक्स वर्क्स मूल्य (₹ प्रति डीटी)	लगने वाला अधिकतम जुर्माना[15] (₹ में)
अ	जेवीवीएनएल							
1.	श्रीनाथ केबल एण्ड कण्डक्टर्स	2217	25	फरवरी 2015	156	12	39999	23999
2.	पशुपतिनाथ ट्रांसफॉर्मर्स	2270	47	जून 2016	1429	421	39870	839263
3.	राजस्थान मेटल एण्ड केमिकल इण्डस्ट्रीज	2270	52	जून 2016	1000	650	39870	1295775
4.	शिव ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड इलेक्ट्रीकल	2270	55	जून 2016	1430	432	39870	861192
5.	सूपर ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड इलेक्ट्रीकल	2270	59	जून 2016	1430	758	39870	1511073
6.	स्वास्तिक कॉपर	2270	--	जून 2016	5234	5234	39870	10433979
7.	वर्धमान इलेक्ट्रोमेक	2270	58	जून 2016	1430	630	39870	1255905
8.	एस.एम. ट्रांसफॉर्मर्स	1052	-	जुलाई 2017	164	164	44268	363000
							योग - अ	**16584186**
ब	जेडीवीवीएनएल							
9.	अनुपम उद्योग	968	9239	दिसंबर 2016	531	231	38006	438969
10.	मैसर्स हार्दिक ट्रांसफॉर्मर्स	968	9238	दिसंबर 2016	531	231	38006	438969
11.	माहेश्वरी इलेक्ट्रोज	968	9245	जनवरी 2017	531	89	38095	169523
12.	विकास एन्टरप्राइजेज	968	9247	नवम्बर 2017	5477	3987	37873	7549983
13.	दिव्यम ट्रांसफॉर्मर्स	968	9240	जनवरी 2017	531	231	42757	493845
14.	मोर ट्रांसफॉर्मर्स	968	9244	दिसंबर 2016	531	251	38006	476980
15.	गोयल ट्रांसफॉर्मर्स	968	9241	दिसंबर 2016	581	181	37828	342348
							योग- ब	**9910617**
							कुल योग (अ+ब)	**26494803**

15 आपूर्ति नहीं की गई मात्रा के मूल्य का 5 प्रतिशत की दर से।

अनुबंध-12

(पृष्ठ संख्या 89 पर अनुच्छेद 3.1.11 में संदर्भित)

2015-18 की अवधि के दौरान उप-खण्ड के अनुसार विफल डीटीज की संख्या की स्थिति व डीटीज की विफलता दर (गारण्टी अवधि के पहले या बाद में) को दर्शाने वाला विवरण पत्र ।

क्र.सं.	चयनित उप-खण्ड के नाम	2015-16							2016-17							2017-18						
		स्थापित डीटीज की कुल संख्या	विफल डीटीज की संख्या			डीटीज की विफल दर (प्रतिशत में)			स्थापित डीटीज की कुल संख्या	विफल डीटीज की संख्या			डीटीज की विफल दर (प्रतिशत में)			स्थापित डीटीज की कुल संख्या	विफल डीटीज की संख्या			डीटीज की विफल दर (प्रतिशत में)		
			डब्ल्यूजीपी	बीजीपी	कुल	डब्ल्यूजीपी	बीजीपी	कुल		डब्ल्यूजीपी	बीजीपी	कुल	डब्ल्यूजीपी	बीजीपी	कुल		डब्ल्यूजीपी	बीजीपी	कुल	डब्ल्यूजीपी	बीजीपी	कुल
अ	जेवीवीएनएल																					
1	मुण्डावर	**9337**	1023	502	1525	10.96	5.38	16.33	**9743**	873	820	1693	8.96	8.42	17.38	**10052**	716	751	1467	7.12	7.47	14.59
2	बानसुर	**10360**	988	521	1509	9.54	5.03	14.57	**11201**	824	693	1517	7.36	6.19	13.54	**11694**	773	862	1635	6.61	7.37	13.98
3	बस्सी	**8008**	767	675	1442	9.58	8.43	18.01	**8399**	937	761	1698	11.16	9.06	20.22	**8540**	1026	893	1919	12.01	10.46	22.47
4	विराटनगर	**6245**	667	590	1257	10.68	9.45	20.13	**6481**	704	606	1310	10.86	9.35	20.21	**6596**	510	418	928	7.73	6.34	14.07
5	नदबई	**5076**	417	531	948	8.22	10.46	18.68	**5693**	457	414	871	8.03	7.27	15.30	**5940**	481	331	812	8.10	5.57	13.67
6	बयाना	**6081**	408	348	756	6.71	5.72	12.43	**6900**	410	383	793	5.94	5.55	11.49	**7221**	340	296	636	4.71	4.10	8.81
ब	जेडीवीवीएनएल																					
1	बालेसर	**5133**	475	447	922	9.25	8.71	17.96	**5586**	659	381	1040	11.80	6.82	18.62	**5720**	351	323	674	6.14	5.65	11.78
2	डेचू	**8631**	696	501	1197	8.06	5.80	13.87	**8661**	557	535	1092	6.43	6.18	12.61	**9317**	394	356	750	4.23	3.82	8.05
3	बज्जू	**2000**	129	74	203	6.45	3.70	10.15	**2639**	199	104	303	7.54	3.94	11.48	**3108**	191	69	260	6.15	2.22	8.37
4	लूणकरणसर	**2333**	225	134	359	9.64	5.74	15.39	**2434**	275	180	455	11.30	7.40	18.69	**3017**	255	260	515	8.45	8.62	17.07
5	भदरना	**7676**	522	383	905	6.80	4.99	11.79	**8005**	557	488	1045	6.96	6.10	13.05	**8554**	447	423	870	5.23	4.95	10.17
6	सांचौर	**4265**	422	505	927	9.89	11.84	21.74	**4578**	362	388	750	7.91	8.48	16.38	**4763**	301	598	899	6.32	12.56	18.87

अनुबंध-13

(पृष्ठ संख्या 95 पर अनुच्छेद 3.1.17 में संदर्भित)

वर्ष 2015 से 2018 के दौरान केन्द्रीय भण्डार/आपूर्तिकर्ता फर्म के पास पड़े हुऐ गारन्टी अवधि के दौरान खराब डीटीज जिन्हे केन्द्रीय भण्डार में जमा की गई, उठायी गई, मरम्मत की गई तथा पुनः वापस दी गई मात्रा को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	आपूर्तिकर्ता फर्म का नाम	01 अप्रैल 2015 को गारण्टी अवधि में दोषपूर्ण डीटीज (संख्याएं)		केन्द्रीय भण्डार में जमा कराये गये जीपी विफल डीटीज की संख्या (30 जून 2017 तक)	आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा उठाई गई जीपी विफल डीटीज (संख्याएं)	मरम्मत व पुनः वापिस दी गई जीपी विफल डीटीज				31 मार्च 2018 को गारण्टी अवधि में पड़े हुऐ दोषपूर्ण डीटीज (संख्याएं)	
		केन्द्रीय भण्डार	आपूर्तिकर्ता फर्म			निर्धारित अवधि में (संख्याएं)	निर्धारित अवधि के पश्चात (संख्याएं)	योग (संख्याएं)	अधिकतम दिनों की देरी	केन्द्रीय भण्डार	आपूर्तिकर्ता फर्म
1	फतेहपुरिया ट्रांसफॉरमर्स एवं स्विचगियर्स	1205	112	5320	6221	947	4120	5067	1085	304	1266
2	जिनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर	334	406	624	946	4	1214	1218	851	12	134
3	गोयल ट्रांसफॉरमर्स उद्योग	181	43	319	229	1	113	114	762	271	158
4	कल्पना इंडस्ट्रीज	251	1421	1010	1253	375	2279	2654	1021	8	20
5	कोटसन्स (प्रा.) लिमिटेड	2078	2035	5635	5805	233	4818	5051	926	1908	2789
6	मंगल इलेक्ट्रिकल्स इंडस्ट्रीज	2951	1911	11921	13489	1077	12453	13530	663	1383	1870
7	प्रकाश ट्रांसफॉर्मरर्स एवं स्विचगियर्स	227	0	698	611	8	355	363	731	314	248
8	राहुल कन्डक्टर्स	190	354	1274	1462	20	1752	1772	1138	2	44
9	श्री कृष्णा सुदर्शन उर्जा	3027	536	12013	14909	5318	10073	15391	1177	131	54
10	स्वास्तिक कॉपर	836	95	391	211	1	120	121	574	1016	185
11	उत्तम (भारत) इलेक्ट्रिकल्स	1635	899	7728	9296	3387	6598	9985	1369	67	210
12	वर्धमान इलेक्ट्रोमेक	211	394	1562	1736	98	2032	2130	1682	37	0
13	विजय इलेक्ट्रिकल्स	2554	405	4804	7265	612	6336	6948	1078	93	722
14	विकास इन्टरप्राईजेज	823	0	4050	4725	349	3910	4259	1270	148	466
	योग (अ)	**16503**	**8611**	**57349**	**68158**	**12430**	**56173**	**68603**		**5694**	**8166**
15	**अन्य आपूर्तिकर्ता फर्मे (ब)**	**6626**	**3765**	**24891**	**29072**	**अनुपलब्ध**	**अनुपलब्ध**	**30237**		**2445**	**2600**
	योग (अ+ब)	**23129**	**12376**	**82240**	**97230**	**-**	**-**	**98840**		**8139**	**10766**

अनुबंध-14

(पृष्ठ संख्या 116 पर अनुच्छेद 4.3 में संदर्भित)

31 मार्च 2018 को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पूँजी एवं बकाया ऋण (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर पूँजी[16]				वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर दीर्घकालिक बकाया ऋण			
				जीओआर[17]	जीओआई[18]	अन्य	कुल	जीओआर	जीओआई	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
अ	**सामाजिक क्षेत्र**										
	I. कार्यरत सरकारी कंपनियां										
1.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	उद्योग	3-जून-1961	6.64	0.27	0.05	6.96	10.02	0.00	0.00	10.02
2.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	उद्योग	1-अप्रेल-1984	45.51	0.00	0.55	46.06	0.00	0.00	0.43	0.43
3.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	स्थानीय स्वायत्य सरकार	1-दिसम्बर-2004	48.67	0.00	0.00	48.67	278.11	0.00	227.03	505.14
4.	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	वित्त	24-फरवरी-2005	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	शहरी विकास एवं आवास	1-जनवरी-2010	1494.04	0.00	200.00	1694.04	676.65	0.00	0.00	676.65
6.	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	सैनिक कल्याण विभाग	29-मार्च-2012	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4-मई-2011	5.00	0.00	0.00	5.00	26.14	0.00	0.00	26.14
8.	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	श्रम एवं रोजगार	17-अगस्त-2010	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	27-दिसम्बर-2010	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	9.78	9.78
10.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	कृषि	28-मार्च-1978	6.33	1.04	0.22	7.59	0.00	0.00	0.00	0.00

16 पूँजी में शेयर आवेदन राशि सम्मिलित है।

17 राजस्थान सरकार

18 भारत सरकार

क्र. सं.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर पूंजी[16]				वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर दीर्घकालिक बकाया ऋण			
				जीओआर[17]	जीओआई[18]	अन्य	कुल	जीओआर	जीओआई	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
	कुल अ-I			**1663.24**	**1.31**	**200.82**	**1865.37**	**990.92**	**0.00**	**237.24**	**1228.16**
	II. अकार्यरत सरकारी कंपनियां										
11.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	कृषि	1-अगस्त-1969	6.01	0.00	0.00	6.01	16.27	0.00	0.00	16.27
12.	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	भूजल विभाग	25-जनवरी-1984	1.27	0.00	0.00	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल अ-II			**7.28**	**0.00**	**0.00**	**7.28**	**16.27**	**0.00**	**0.00**	**16.27**
	कुल अ (I+II)			**1670.52**	**1.31**	**200.82**	**1872.65**	**1007.19**	**0.00**	**237.24**	**1244.43**
ब.	**प्रतिस्पर्धी वातावरण क्षेत्र**										
	I. कार्यरत सरकारी कंपनियां										
13.	राजस्थान स्टेट पावर फायनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	वित्त	21-दिसम्बर-2012	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	वित्त	1-जुलाई-1956	180.34	0.00	0.05	180.39	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (विघटित जनवरी 1980 से)	उद्योग	28-मार्च-1969	210.19	0.00	0.00	210.19	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	लोक निर्माण विभाग	8-फरवरी-1979	100.00	0.00	0.00	100.00	53.48	0.00	2134.78	2188.26
17.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (जून 1973 से सरकारी कम्पनी)	खान	7-मई-1947	77.54	0.00	0.01	77.55	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार	27-अक्टूबर-2010	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	पर्यटन	7-जून-1965	2.16	0.00	0.00	2.16	10.00	0.00	1.05	11.05
20.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	पर्यटन	24-नवम्बर-1978	21.95	0.00	0.00	21.95	23.00	0.00	0.38	23.38
21.	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या 17 की सहायक एवं संयुक्त कम्पनी)	खान	19-जनवरी-2007	0	0	20.00	20.00	0	0	1651.77	1651.77

क्र. सं.	कम्पनी का नाम एवं क्षेत्र	विभाग का नाम	निगमन का महीना एवं वर्ष	वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर पूँजी[16]				वर्ष 2017-18 की समाप्ति पर दीर्घकालिक बकाया ऋण			
				जीओआर[17]	जीओआई[18]	अन्य	कुल	जीओआर	जीओआई	अन्य	कुल
1	2	3	4	5 (अ)	5 (ब)	5 (स)	5 (द)	6 (अ)	6 (ब)	6 (स)	6 (द)
22.	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (क्रम संस्था 23 की सहायक कंपनी)	खान एवं पेट्रोलियम	20-सितम्बर-2013	0	0	129.87	129.87	0	0	0	0
23.	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (क्रम संस्था 17 की सहायक कम्पनी)	खान एवं पेट्रोलियम	10-जुलाई-2008	0	0	67.08	67.08	0	0	0	0
	कुल ब-I			**687.18**	**0.00**	**217.01**	**904.19**	**86.48**	**0.00**	**3787.98**	**3874.46**
	II. सांविधिक **निगम**										
24.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	परिवहन	1-अक्टूबर-1964	612.13	26.83	0.00	638.96	561.27	0.00	664.65	1225.92
25.	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	कृषि	30-दिसम्बर-1957	3.93	3.92	0.00	7.85	280.88	0.00	0.00	280.88
26.	राजस्थान वित्त निगम	उद्योग	17-जनवरी-1955	128.31	0.00	32.42	160.73	1.03	0.00	300.00	301.03
	कुल ब-II			**744.37**	**30.75**	**32.42**	**807.54**	**843.18**	**0.00**	**964.65**	**1807.83**
	कुल ब (I+II)			**1431.55**	**30.75**	**249.43**	**1711.73**	**929.66**	**0.00**	**4752.63**	**5682.29**
स	**अन्य**										
	I. कार्यरत सरकारी कंपनी										
27.	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	गृह	22-जून-2013	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल स-I			**1.00**	**0.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	II. अकार्यरत सरकारी कंपनी										
28.	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	सामान्य प्रशासनिक और नागरिक उड्डयन	20-दिसम्बर-2006	4.49	0.00	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल स-II			**4.49**	**0.00**	**0.00**	**4.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कुल स (I+II)			**5.49**	**0.00**	**0.00**	**5.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	कुल योग (अ+ब+स)			**3107.56**	**32.06**	**450.25**	**3589.87**	**1936.85**	**0.00**	**4989.87**	**6926.72**

अनुबंध-15

(पृष्ठ संख्या 119 पर अनुच्छेद 4.7 में संदर्भित)

राजस्थान सरकार के वित्त लेखों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के लेखो मे 31 मार्च 2018 को पूँजी, ऋण एवं गारंटी शेषों के अंतर को दर्शाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमो के लेखों के अनुसार			राजस्थान सरकार के वित्त लेखो के अनुसार			अन्तर		
		प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी	प्रदत्त पूँजी	बकाया ऋण	प्रतिबद्ध गारंटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	6.33	0.00	0.00	6.33	0.64	-	0.00	-0.64	0.00
2	राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	210.19	0.00	0.00	193.69	5.37	-	16.50	-5.37	0.00
3	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	48.67	278.11	-	33.51	0.00	331.78	15.16	278.11	-331.78
4	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	180.34	0.00	-	181.09	0.11	-	-0.75	-0.11	0.00
5	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	77.54	0.00	-	77.56		-	-0.02	0.00	0.00
6	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	21.95	23.00	0.00	21.94	23.00	-	0.01	0.00	0.00
7	राजस्थान वित्त निगम	128.31	1.03	300.00	128.31	1.26	300.00	0.00	-0.23	0.00
8	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	6.01	16.27	-	4.13	17.51	-	1.88	- 1.24	0.00

अनुबंध–16

(पृष्ठ संख्या 120 पर अनुच्छेद 4.8.1 में संदर्भित)

राज्य सरकार द्वारा कार्यरत राज्य पीएसयूज (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त), जिनके लेखे बकाया है, में बकाया लेखो के वर्षो के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण–पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	कंपनी का नाम	लेखों को अन्तिम रूप दिये जाने तक की समय अवधि	बकाया लेखों की समयावधि	नवीनतम लेखो के अनुसार प्रदत्त पूँजी	बकाया लेखो की समयावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा किया गया निवेश		
					ऋण	सब्सिडी	कुल
अ	**सरकारी कम्पनियां**						
1	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	46.06	0.00	0.80	0.80
2	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	100.00	53.48	0.00	53.48
3	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.50	0.00	53.49	53.49
4	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	1694.04	115.14	0.00	115.14
5	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	5.00	0.00	560.00	560.00
6	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	48.67	0.00	0.00	0.00
7	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड	2016-17	2017-18	20.00	0.00	0.00	0.00
8	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड	2016-17	2017-18	77.55	0.00	0.00	0.00
9	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	11.10	0.00	0.00	0.00
10	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2017-18	50.00	0.00	0.00	0.00
11	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16 से 2017-18	2.16	0.00	0.00	0.00
12	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17 से 2017-18	21.95	0.00	0.00	0.00
	योग (अ)			**2077.03**	**168.62**	**614.29**	**782.91**
ब	**सांविधिक निगम**						
13	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2016-17	2017-18	638.96	41.50	284.63	326.13
	योग (ब)			**638.96**	**41.50**	**284.63**	**326.13**
	कुल योग (अ+ब)			**2715.99**	**210.12**	**898.92**	**1109.04**

अनुबंध-17

(पृष्ठ संख्या 123 पर अनुच्छेद 4.11 एवं पृष्ठ संख्या 130 पर अनुच्छेद 4.17 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अन्तिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज एवं कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
अ.	सामाजिक क्षेत्र									
	कार्यरत सरकारी कंपनियां									
1.	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	5.05	4.77	136.06	6.96	-13.22	-17.55	-24.51
2.	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.50	0.49	16.25	46.06	-0.53	-4.05	-50.11
3.	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.80	0.49	5.33	48.67	668.25	69.76	21.09
4.	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	28.98	5.12	5699.57	2.00	39.72	39.72	37.72
5.	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	-45.49	-90.12	9.72	1694.04	2079.92	1513.79	-180.25
6.	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	4.02	4.01	102.36	5.00	14.75	14.75	9.75
7.	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2016-17	2017-18	16.54	10.79	526.86	5.00	45.36	19.22	14.22
8.	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2017-18	2018-19	2.14	2.14	80.10	0.05	-13.00	-13.00	-13.05
9.	राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2015-16	2017-18	15.81	5.66	561.77	50.00	82.88	82.88	32.88

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज एवं कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/ हानि
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
10.	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	7.54	1.08	261.58	7.59	125.51	125.51	117.92
	कुल अ-I			**35.89**	**-55.57**	**7399.6**	**1865.37**	**3029.64**	**1831.03**	**-34.34**
	अकार्यरत सरकारी कंपनियां									
11.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2013-14	2016-17	-0.14	-1.44	0.00	6.01	-2.11	-47.20	-53.21
12.	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.03	0.03	0.00	1.27	-0.82	-0.82	-2.09
	कुल अ-II			**-0.11**	**-1.41**	**0.00**	**7.28**	**-2.93**	**-48.02**	**-55.30**
	कुल अ (I+II)			**35.78**	**-56.98**	**7399.60**	**1872.65**	**3026.71**	**1783.01**	**-89.64**
ब.	**प्रतिस्पर्धी पर्यावरणीय क्षेत्र**									
	कार्यरत सरकारी कंपनियां									
13.	राजस्थान स्टेट पावर फायनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड	2017-18	2018-19	5.91	4.25	6.64	90.00	105.50	105.50	15.50
14.	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2017-18	2018-19	44.34	23.51	1143.25	180.39	298.14	297.58	117.19
15.	राजस्थान राज्य उद्योग विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	2017-18	2018-19	196.06	142.94	689.23	210.19	1726.79	1726.79	1516.60
16.	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	264.48	19.12	1044.10	100.00	2320.63	193.34	93.34
17.	राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड (जून 1973 से सरकारी कम्पनी)	2016-17	2017-18	146.71	109.68	709.79	77.55	2040.31	2040.31	1962.76
18.	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	2017-18	2018-19	10.04	3.29	129.93	5.00	55.08	55.08	50.08
19.	राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	-1.22	-1.26	1.47	2.16	-0.35	-6.35	-8.51

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज एवं कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
20.	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2017-18	-14.53	-14.59	67.89	21.95	-109.01	-123.10	-145.05
21.	बाड़मेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड (क्रम संस्या 17 की सहायक एवं संयुक्त कम्पनी)	2016-17	2017-18	58.49	0.62	813.41	20.00	1511.37	-6.33	-26.33
22.	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (क्रम संस्या 23 की सहायक कम्पनी)	2017-18	2018-19	-2.14	-2.45	26.06	129.87	120.18	120.18	-9.69
23.	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (क्रम संस्या 17 की सहायक कम्पनी)	2016-17	2017-18	0.02	0.01	0.00	11.10	10.28	10.28	-0.82
	कुल ब-I			**708.16**	**285.12**	**4631.77**	**848.21**	**8078.92**	**4413.28**	**3565.07**
	II. सांविधिक **निगम**									
24.	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2016-17	2017-18	-2030.32	-1169.76	1674.49	638.96	-2738.39	-4000.31	-4639.27
25.	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	2017-18	2018-19	43.48	4.12	111.44	7.85	464.03	183.15	175.30
26.	राजस्थान वित्त निगम	2017-18	2018-19	44.74	7.99	93.90	160.73	343.87	41.65[19]	-116.86
	कुल ब-II			**-1942.10**	**-1157.65**	**1879.83**	**807.54**	**-1930.49**	**-3775.51**	**-4580.83**
	कुल ब (I+II)			**-1233.94**	**-872.53**	**6511.60**	**1655.75**	**6148.43**	**637.77**	**-1015.76**
स.	**अन्य**									
	I. **कार्यरत सरकारी कंपनी**									
27.	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	-0.25	-0.25	0.01	0.50	0.20	0.20	-0.30
	कुल स-I			**-0.25**	**-0.25**	**0.01**	**0.50**	**0.20**	**0.20**	**-0.30**

19 राजस्थान वित्त निगम के प्रकरण में निवल मूल्य की राशि निकालने के लिए प्रदत्त पूँजी एवं संचित हानियों के अंतर में से ₹ 2.22 करोड़ के स्थागित राजस्व व्यय घटाये गये है।

क्र. सं.	क्षेत्र, प्रकार एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	लाभांश, ब्याज एवं कर से पहले शुद्ध लाभ/हानि	लाभांश, ब्याज एवं कर के बाद शुद्ध लाभ/हानि	टर्न ओवर	प्रदत्त पूँजी	नियोजित पूँजी	निवल मूल्य	संचित लाभ/हानि
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	II. अकार्यरत सरकारी कंपनी									
28.	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	2016-17	2017-18	0.06	0.06	0.00	4.49	-1.83	-1.83	-6.32
	कुल स-II			**0.06**	**0.06**	**0.00**	**4.49**	**-1.83**	**-1.83**	**-6.32**
	कुल स (I+II)			**-0.19**	**-0.19**	**0.01**	**4.99**	**-1.63**	**-1.63**	**-6.62**
	कुल योग (अ+ब+स)			**-1198.35**	**-929.70**	**13911.21**	**3533.39**	**9173.51**	**2419.15**	**-1112.02**
i	**कार्यरत सरकारी कंपनियां**			**743.80**	**229.30**	**12031.38**	**2714.08**	**11108.76**	**6244.51**	**3530.43**
ii	सांविधिक **निगम**			**-1942.10**	**-1157.65**	**1879.83**	**807.54**	**-1930.49**	**-3775.51**	**-4580.83**
iii	**कार्यरत कंपनियां (i+ii)**			**-1198.30**	**-928.35**	**13911.21**	**3521.62**	**9178.27**	**2469.00**	**-1050.40**
iv	**अकार्यरत सरकारी कंपनियां**			**-0.05**	**-1.35**	**0.00**	**11.77**	**-4.76**	**-49.85**	**-61.62**
	कुल योग (iii+iv)			**-1198.35**	**-929.70**	**13911.21**	**3533.39**	**9173.51**	**2419.15**	**-1112.02**

अनुबन्ध– 18

(पृष्ठ संख्या 128 पर अनुच्छेद संख्या 4.15 में संदर्भित)

2000–01 से 2017–18 की समयावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा संचारित किया गया कोष (ऊर्जा क्षेत्र के अतिरिक्त) को दशाने वाला विवरण पत्र

(₹ करोड़ में)

अ. सामाजिक क्षेत्र										
क्र. सं.	1.		2.		3.		4.		5.	
वर्ष	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड		राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड		राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड		राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड		राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	
	पूंजी	आईएफएल	पूंजी	आईएफएल	पूंजी	आईएफएल	पूंजी	आईएफएल	पूंजी	आईएफएल
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	1.50	0.00	16.25	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.88
2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	23.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-15.38
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	-0.77	0.00	0.00	15.67	0.00	0.00	-2.50
2017-18	0.00	0.00	0.00	-0.77	0.00	0.00	0.00	278.11	0.00	-2.50
कुल	**0.00**	**0.00**	**1.50**	**10.02**	**39.91**	**0.00**	**48.67**	**278.11**	**5.00**	**12.50**

अ. सामाजिक क्षेत्र										
क्र. सं.	6.		7.		8.		9.		10.	
वर्ष	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम		राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड		राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड		जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड		राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	
	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.95	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.05	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	307.04	0.00	0.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	55.10	0.00	0.00	561.00	0.00	5.00	0.00
2013-14	0.00	0.00	0.00	-15.22	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00	0.00
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1182.38	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	-24.88	0.00	0.00	0.00	72.02	0.00	0.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-958.05	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.34	0.00	0.00
कुल	**0.05**	**0.00**	**50.00**	**15.00**	**2.00**	**0.00**	**1494.04**	**410.69**	**5.00**	**0.00**

अ. सामाजिक क्षेत्र (11 एवं 12) एवं ब. प्रतिस्पर्धी पर्यावरणीय क्षेत्र (13 से 15)										
क्र. सं.	11.		12.		13.		14.		15.	
वर्ष	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड		राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड		राजस्थान स्टेट पावर फायनेन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड		राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड		राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	
	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल
2000-01	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	-0.49	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	-1.31	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	-1.06	0.00	0.00
2003-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.25	-0.04	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.92	-10.59	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	-5.51	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	-0.39	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	-1.05	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.99	-0.69	0.00	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.72	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.31	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.69	10.00	0.00
2012-13	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-14	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00
2014-15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**1.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**90.00**	**0.00**	**42.57**	**-27.85**	**90.00**	**0.00**

ब. प्रतिस्पर्धी पर्यावरणीय क्षेत्र										
क्र. सं.	16.		17.		18.		19.		20.	
वर्ष	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड		राजस्थान खान एवं खनिज निगम लिमिटेड		राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड		राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड		राजस्थान वित्त निगम	
	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल
2000-01	0.05	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	-2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	5.70	0.00	0.00	-0.36	0.00	0.00	0.00	-2.10
2003-04	0.00	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.80
2004-05	0.00	0.00	0.00	-1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	11.54	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	-0.55
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	13.95	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	21.50	0.00	0.00	0.00	0.29	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2012-13	11.69	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	3.50	0.00	25.65	0.00
2013-14	43.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	15.00	25.00	0.00
2014-15	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	58.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
2016-17	-0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**176.79**	**0.00**	**15.81**	**-3.50**	**1.19**	**9.54**	**8.11**	**23.00**	**81.15**	**-3.45**

ब. प्रतिस्पर्धी पर्यावरणीय क्षेत्र (21 से 23) एवं स. अन्य (24-25)										
क्र. सं.	21.		22.		23.		24.		25.	
वर्ष	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम		राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम		राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड		राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड		राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	
	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल	पूँजी	आईएफएल
2000-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2001-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2002-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2003-04	112.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004-05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2005-06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2006-07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2007-08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2008-09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.82	0.00
2009-10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010-11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00
2012-13	188.90	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	0.00
2013-14	150.00	137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2014-15	80.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2015-16	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2016-17	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017-18	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
कुल	**531.00**	**561.40**	**0.00**	**0.00**	**5.00**	**0.00**	**1.00**	**0.00**	**4.49**	**0.00**

अनुबंध-19

(पृष्ठ संख्या 141 पर अनुच्छेद 5.1.2 में संदर्भित)

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष के लिये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) में निर्माण कार्यो की समाप्ति, उत्पादन गतिविधियों के प्रारम्भ तथा प्रतिधारण शुल्क की वसूली से संबंधित अनुच्छेद पर राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) की सिफारिशों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

पूर्व अध्ययन का संक्षिप्त विवरण	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट (पीएसयूज) राजस्थान सरकार (रिपोर्ट संख्या 1 वर्ष 2014 (में, निर्माण कार्य की समाप्ति एवं उत्पादन गतिविधियों के प्रारम्भ तथा प्रतिधारण शुल्क की वसूली पर कम्पनी के निष्पादन से संबंधित एक अध्ययन (अनुच्छेद 4.6) सम्मिलित किया गया जिस पर राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा विचार (8 दिसम्बर 2015) किया गया तथा कोपू द्वारा 17 मार्च 2016 को सिफारिशें की गई।
कोपू की सिफारिशें	कोपू द्वारा की गई सिफारिशें निम्नलिखित है: • निर्माण कार्य व उत्पादन गतिविधियों से संबंधित नियमों की कठोर अनुपालना सुनिश्चित की जाये, • नियमों/विनियमों में उन परिस्थितियों का उल्लेख करें जिन पर निर्माण कार्य/उत्पादन अवधि में रियायत के लिये विचार किया जा सकता है, • इकाई कार्यालय में समय पर नोटिस जारी करने हेतु प्रक्रिया विकसित की जाये, • डिफॉल्टर व्यवसायियों को खाली भूखण्ड का आवंटन निरस्त किया जाये व उत्पादन गतिविधियों की निगरानी की जाये, • उत्तरदायित्व तय करने हेतु व्यवस्था बनायी जाये एवं • विभिन्न गतिविधियों (निर्माण एवं उत्पादन गतिविधियों सहित) के लिये आईटी समाधान लागू किये जाये।
लेखापरीक्षा इकाई / कम्पनी की प्रतिक्रिया	कोपू की सिफारिशों की प्रतिक्रिया में कम्पनी ने आश्वस्त (फरवरी 2017) किया कि निर्माण कार्यो की समय पर समाप्ति एवं उत्पादन गतिविधियों के प्रारम्भ के लिये सभी इकाई प्रमुखों को निर्देश दिये गये है तथा गतिविधियों का कम्प्यूटरीकरण अप्रैल 2017 तक पूरा हो जायेगा।

अनुबंध-20

(पृष्ठ संख्या 150 पर अनुच्छेद 5.1.10 में संदर्भित)

31 मार्च 2018 तक चूककर्ता आवंटियों से प्रतिधारण शुल्क का गैर धारण/वसूली को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र. सं.	आवंटी का नाम	औद्योगिक क्षेत्र एवं इकाई कार्यालय	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्र (वर्गमीटर में)	आवंटन का महीना	प्रतिबद्धित निवेश	आवंटन आदेशानुसार उत्पादन गतिविधियों को प्रारम्भ करने का माह	परिवर्धित आदेशानुसार उत्पादन गतिविधियों को प्रारम्भ करने का माह	वसूली योग्य प्रतिधारण शुल्क
1	जेबीएम ऑटो लिमिटेड	पथरेडी, भिवाडी-II	एसपी1-891	44517	नवम्बर 2007	6900.00	19 अगस्त 2011	1 अप्रैल 2014	534.20
2	थाइसेन क्रुप जेबीएम प्राईवेट लिमिटेड	पथरेडी, भिवाडी-II	एसपी 1-888	40000	अप्रैल 2008	3500.00	19 अगस्त 2011	1 अप्रैल 2014	480.00
3	रीको ऑटो इंडस्ट्रिज लिमिटेड	पथरेडी, भिवाडी-II	एसपी 3-800 एवं 801ए	45500	मार्च 2010	अनुपलब्ध	अप्रैल 2015	अप्रैल 2016	182.00
4	नीमराना एजुकेशन एवं रीसर्च चेरिटेबल ट्रस्ट	एनआईसी (एम), नीमराना	आई-261	30611	दिसम्बर 2012	अनुपलब्ध	दिसम्बर 2015	दिसम्बर 2016	55.10
5	पुष्पा इंडस्ट्रिज	इन्द्रप्रस्थ, कोटा	एफ-313	2000	जून 1990	अनुपलब्ध	जुलाई 1999	मार्च 2004 एवं दिसम्बर 2014[20]	13.20
6	परनामी लॉजिस्टिक एवं पेकिंग सेंटर प्राईवेट लिमिटेड	कहरानी, भिवाडी-I	एसपी-184बी	12620	अक्टूबर 2010	अनुपलब्ध	अक्टूबर 2014	-	98.44
7	केसीबी बिल्डर्स	खुशखेडा, भिवाडी-II	ई-45 (ई)	4000	सितम्बर 2005	अनुपलब्ध	दिसम्बर 2008	-	29.60[21]
	योग					10400.00			1392.54

20 जुलाई 2006 में भूखण्ड का आवंटन निरस्त कर दिया गया था एवं बाद में 17 दिसम्बर 2014 को पुनः बहाल कर दिया गया।

21 इसमें मांगा गया प्रतिधारण शुल्क सम्मिलित है परन्तु यह परिवर्धित समयावधि 30 अक्टूबर 2013 तक भी जमा नहीं करवाया गया है (अगस्त 2013 में मांग उठने के अनुसार)।

अनुबंध-21

(पृष्ठ संख्या 150 पर अनुच्छेद 5.1.10 में संदर्भित)

नियमों के अनुसार प्रतिधारित प्रभारों/ भूमि की अतिरिक्त लागत नहीं जमा करवाने वाले आवंटियों से, प्रतिधारित प्रभारों की गणना एवं वसूली न करना एवं आवंटियों को प्रदान अनुचित छूट को दर्शाने वाला विवरण पत्र

मैसर्स बिड़ला कॉर्पोरेशन लिमिटेड

फ्लाई ऐश आधारित पोर्टलैंड पॉजोलना सीमेंट (पीपीसी) की स्थापना हेतु कंपनी ने **मैसर्स बिड़ला कॉर्पोरेशन (आंवटी)** को दो भूखंड आवंटित (फरवरी 2010) किए थे। उत्पादन गतिविधि 9 मई 2011 से पूर्व प्रारंभ की जानी थी। आवंटी ने निर्धारित समय में उत्पादन गतिविधि प्रारंभ नहीं की थी। कंपनी ने प्रतिधारण शुल्क के भुगतान पर 30 अप्रैल 2013 तक का समय विस्तार प्रदान (मार्च 2012) किया था। आवंटी ने विस्तारित समयावधि में उत्पादन प्रारंभ नहीं कर सका। हालांकि, आगे समय विस्तार ना मांगे जाने पर, कंपनी ने उत्पादन गतिविधि प्रारंभ ना करने पर कारण बताओ नोटिस (एससीएन) जारी नहीं किया। तत्पश्चात आवंटी ने अप्रैल 2017 तक आगे समय विस्तार हेतु प्रार्थना (अगस्त 2015 एवं मई 2016) की थी। कंपनी ने आवंटी को परियोजना हेतु संबंधित विभागों से आवश्यक दस्तावेज/सहमति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने को निर्देशित (जुलाई 2016) किया । इसके पश्चात आवंटी ने 30 अप्रैल 2019 तक उत्पादन गतिविधि प्रारंभ करने हेतु दूसरी प्रार्थना (अगस्त 2017) करते हुए यह बताया कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने उसकी प्रस्तावित परियोजना निरस्त (जून 2015) कर दी थी एवम तदनुसार, एक वाष्पित ठोस संयंत्र (एसीपी) जिसके लिए इस तरह की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी, को स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की थी।

हमने देखा कि कंपनी ने विस्तारित अवधि से पांच वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने पर भी ₹ 1.14 करोड़ के प्रतिधारण शुल्क की वसूली हेतु समय पर कार्यवाही नहीं की थी। आगे, हमने देखा कि मार्च 2019 तक का समय विस्तार प्रबंध निदेशक ने दिया (मार्च 2018) था जबकि निर्धारित उत्पादन तिथि से सात वर्ष के पश्चात समय विस्तार प्रदान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी आईडीसी थी।

सरकार ने स्वीकार (जुलाई 2018) किया कि आवंटी ने पर्यावरण स्वीकृति एवं वन स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उत्पादन गतिविधि प्रारंभ नहीं की थी। इस मामले की जांच की जा रही है तथा प्रबन्ध निदेशक द्वारा आगे समय विस्तार दिये जाने को अग्रिम कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष रखा जायेगा। **(कोटा इकाई)**

मैसर्स फिन प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी ने नियम 3 (डब्ल्यू) के अंतर्गत एक औद्योगिक भूखंड (एफ-1292) **मैसर्स फिन प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** को आवंटित (मार्च 2011) किया था। आवंटी को 17 मई 2012 से पूर्व एफडीआई के रूप में ₹ 60.10 करोड़(भूमि की लागत के अतिरिक्त) न्यूनतम प्रतिबद्ध निवेश के साथ उत्पादन गतिविधि प्रारंभ करनी थी। आवंटी ने उत्पादन प्रारंभ नहीं किया था एवं 31 अक्टूबर 2012 तक बिना प्रतिधारण शुल्क के समय विस्तार मांगा। नियम 3 (डब्ल्यू) के अंतर्गत वरीयता आवंटन हेतु गठित उपसमिति के समक्ष, इस प्रस्ताव के साथ रखा (10 अक्टूबर 2012) गया था कि आवंटी को 31 अक्टूबर 2012 तक का समय विस्तार ₹ 10.60 करोड़ प्रतिधारण शुल्क लगाकर दिया जा सकता है। उप-समिति ने समय विस्तार हेतु बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आवंटन तिथि (अर्थात मई 2013 तक) से उत्पादन गतिविधि प्रारंभ करने हेतु कुल दो वर्ष की अवधि प्रदान करने का निर्णय (अक्टूबर 2012) लिया । हालांकि, आवंटी ने अप्रैल 2018 तक ना ही प्रतिबद्ध निवेश के साथ उत्पादन गतिविधि प्रारंभ की थी ना ही आगे किसी प्रकार का समय विस्तार चाहा था।

हमने देखा कि उप समिति ने संशोधित नियमों (2 जनवरी 2012) के तहत आवंटी को दो वर्ष का समय विस्तार प्रदान किया था। तथापि कंपनी ने प्रतिधारण शुल्क /भूमि की अतिरिक्त लागत जो की ₹ 4.58 करोड़ (18 मई 2013 से अप्रेल 2018) थी, की वसूली भी सुनिश्चित नहीं की थी। **(ईपीआईपी- सीतापुरा इकाई)**

मैसर्स संधार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड

कंपनी ने नियम 3(डब्ल्यू) के अंतर्गत एक औद्योगिक भूखंड (एसपी1- 889) **मैसर्स संधार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड** को आवंटित (नवंबर 2007) किया था। आवंटी को 19 अगस्त 2011 से पूर्व ₹ 65 करोड़ निवेश के साथ उत्पादन प्रारंभ करना था। आवंटी निर्धारित समय में उत्पादन गतिविधि प्रारंभ नहीं कर सका था। कंपनी ने प्रतिधारण शुल्क के भुगतान पर 31 जनवरी 2014 तक समय विस्तार प्रदान (मार्च 2013) किया था। भूखंड स्थल रिपोर्ट से यह परिलक्षित (सितंबर 2014) हुआ कि आवंटी ने कुल भूखंड क्षेत्रफल के 21 प्रतिशत में फैक्ट्री शेड बिल्डिंग के निर्माण के साथ उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। आगे, आवंटी फरवरी 2014 तक मात्र ₹ 21.92 करोड़ निवेश कर

सका था। आवंटी की विलंबित प्रार्थना (मार्च 2015) पर कंपनी ने ₹ 7.61 करोड प्रतिधारण शुल्क का भुगतान करने की दशा में 31 जनवरी 2016 तक का समय विस्तार प्रदान करने का निर्णय (मार्च 2015) लिया । कंपनी ने आवंटी को आवश्यक प्रतिधारण शुल्क जमा करने का निर्देश (मई 2015, अक्टूबर 2015 और जुलाई 2016) दिया । हालांकि, आवंटी ने आवश्यक प्रतिधारण शुल्क मार्च 2018 तक जमा नहीं करवाया था ।

हमने देखा कि आवंटी ने आज तक (मार्च 2018) प्रतिबद्ध निवेश नहीं किया था। आगे, आवंटी ने जनवरी 2014 में विस्तारित समयावधि व्यतीत होने के उपरांत भी ना ही प्रतिधारण शुल्क जमा करवाया ना ही आगे समय विस्तार मांगा था। जबकि, कंपनी ने प्रतिधारण शुल्क/ भूमि की अतिरिक्त लागत ₹ 10.30 करोड़ (अर्थात ₹ 7.61 करोड फरवरी 2014 से जनवरी 2016 एवं ₹ 2.69 करोड़ फरवरी 2016 से मार्च 2018) की वसूली सुनिश्चित नहीं की थी। **(भिवाड़ी-II इकाई)**

सरकार ने बताया (जुलाई 2018) की आईडीसी ने सनसिटी शीट प्राइवेट लिमिटेड के एक समान प्रकरण की समीक्षा के उपरांत निर्देशित किया (फरवरी 2018) गया था कि आईडीसी के निर्णय (मई 2012) जिसमें निवेश को उत्पादन गतिविधि शुरू करने का मापदंड माना गया था, से पूर्व आवंटित सभी प्रकरणों की जांच यह ध्यान में रखते हुए कि संबंधित आवंटी को, क्या निर्णय एवं इसकी लागू होने को समय पर संप्रेषित हुई थी। इसलिए, ये दो मामले भी आईडीसी द्वारा लिए गए सामान्य पॉलिसी निर्णय के अनुसार जांच किए जाएंगे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है जैसा की इन प्रकरणो में समयवृद्धि संशोधितः न्युनतम पूंजी निवेश नियम की शर्तो के अंतर्गत दी जानी चाहिए थी जो कि नहीं किया गया।

मैसर्स ज्यूकिनी इंडिया आर एण्ड डी केमिकल्स (पी) लिमिटेड

कंपनी ने नियम 3 (डब्ल्यू) के एफडीआई श्रेणी में एक भूखंड मैसर्स ज्यूकिनी इंडिया आर एंड डी केमिकल्स (पी) लिमिटेड को आवंटित (अप्रैल 2013) किया था। आवंटी को 11 अप्रैल 2015 तक उत्पादन प्रारंभ करना था। आवंटी को न्यूनतम प्रतिबद्ध निवेश ₹ 17.90 करोड़ (₹ 5.90 करोड़ की राशि सम्मिलित अर्थात 33 प्रतिशत एफडीआई के द्वारा) भी करना था। अग्निशमन विभाग से अनापत्ति[22] प्रमाण पत्र प्राप्ति में विलंब के मद्देनजर, कंपनी ने बिना प्रतिधारण शुल्क की वसूली किए निर्धारित उत्पादन अवधि को 10 अक्टूबर 2015 तक विस्तारित (अगस्त 2015) किया था। तथापि, आवंटी उत्पादन गतिविधि को निर्धारित समयावधि में प्रारंभ नहीं कर सका था एवं 3 जुलाई 2015 तक केवल ₹ 10.11 करोड़ निवेश किए थे। आवंटी ने निवेश का विवरण (₹ 17.94 करोड़) एवं 31 मार्च 2017 तक प्राप्त एफडीआई (₹ 7.53 करोड़) प्रस्तुत (जून 2017) किया था। हालांकि, इसमें अन्य संस्थान (ज्यूकिनी इंडिया केमिकल्स (पी) लिमिटेड) का निवेश (₹ 0.74 करोड़) एवं प्राप्त एफडीआई (₹ 2.90 करोड़) सम्मिलित थे, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था। हमने देखा कि कंपनी ने आवंटी को एससीएन जारी (अक्टूबर 2017) किया जो कि आवंटी द्वारा प्रत्युतर नहीं किया गया था। हालांकि, कंपनी ने ना तो प्रतिधारण शुल्क (₹ 85.74 लाख 3 नवम्बर 2015 से मार्च 2018 तक की समयावधि तक) की वसूली हेतु कार्यवाही की एवं ना ही आवंटन निरस्त किया था।

सरकार ने बताया (जुलाई 2018) आवंटी को परियोजना के लिए आवश्यक एफडीआई से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लगातार कहा गया था। प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के पश्चात, प्रकरण की जांच की जाएगी एवं तदनुसार समय विस्तार प्रदान करने/भूखंड के आवंटन को निरस्त करने हेतु कार्यवाही की जाएगी। आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (अगस्त 2018)। (ईपीआईपी सीतापुरा इकाई)

मैसर्स बी.के. गियर्स प्राइवेट लिमिटेड

कंपनी के नियम 3(डब्ल्यू) के अंतर्गत गियर रोल विनिर्माण उद्योग की स्थापना हेतु मैसर्स बी.के. गियर्स प्राइवेट लिमिटेड (आवंटी) को दो भूखंड (ई-263 एवं ई-264 परिमाप 5950 वर्ग मीटर) आवंटित (नवंबर 2011) किए थे। आवंटी को न्यूनतम प्रतिबद्ध निवेश ₹ 22.49 करोड़ के साथ 14 नवंबर 2013 तक उत्पादन गतिविधि प्रारंभ करनी थी। कंपनी ने पूर्व में हस्तांतरित एवं विलय किए गए तीन भूखंडों (ई-167(ए),ई-167 एवं ई-168 परिमाप 6000 वर्ग मीटर) के साथ इन दोनों भूखंडों के विलय की अनुमति (फरवरी 2012) प्रदान की थी। हालांकि, नियम 3 डब्ल्यू के अर्न्तगत भूखण्डो के विलय का कोई नियम नहीं था। कंपनी ने समय पर उत्पादन गतिविधि प्रारंभ करने हेतु वेक अप कॉल नोटिस जारी (अगस्त 2013) किया था। आवंटी ने निर्धारित समय सीमा में उत्पादन गतिविधि प्रारंभ नहीं की थी एवं कम्पनी द्वारा जारी एससीएन के उत्तर में सूचित किया कि (दिसंबर 2013) उसने ₹ 4.65 करोड़ का निवेश कर लिया था एवं दिसंबर 2013 तक ₹ 18 करोड़ की मशीनरी क्रय करने हेतु आदेश दे दिए थे। आवंटी इकाई ने नवंबर 2014 में उत्पादन प्रारंभ कर दिया था।

22 अग्नि शमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र 2 नवम्बर 2015 को प्राप्त किया गया था।

हमने देखा कि आवंटी ने दो विभिन्न चार्टर्ड अकाउटेंट के (सीए) प्रमाण पत्र प्रस्तुत (मई 2014 एवं मार्च 2016) किए थे, जिनमें प्रथम प्रमाण पत्र में अक्टूबर 2013 तक कुल आवंटित क्षेत्र में ₹ 28.81 करोड़ (मशीनरी के लिए ₹ 17.88 करोड़ अग्रिम सम्मिलित करते हुए) का निवेश बताया गया था जबकि द्वितीय प्रमाण पत्र में दो भूखंडों (ई-263 एवं ई- 264) में अक्टूबर 2013 तक ₹ 23.59 करोड़ (मशीनरी के लिए ₹ 17.67 करोड़ अग्रिम सम्मिलित करते हुए) का निवेश बताया गया था। तत्पश्चात, आवंटी ने नवंबर 2014 तक दो भूखंडों (ई-263 एवं ई-264) में ₹ 31.78 करोड़ (मशीनरी की तरफ ₹ 25.11 करोड़ अग्रिम शामिल करते हुए) निवेश बताने वाला एक ओर प्रमाण पत्र प्रस्तुत (अक्टूबर 2017) किया था। हालांकि, आवंटी ने नियम 3 डब्ल्यू के अन्तर्गत प्रतिबद्ध निवेश के तुल्य वास्तविक निवेश को करने की तिथि पता करने हेतु आवश्यक दस्तावेज / सही प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए थे। हमने देखा कि कंपनी ने आवश्यक दस्तावेज प्राप्ति हेतु उचित प्रयास नहीं किए थे एवं बकाया राशि की वसूली में असाधारण विलंब किया था। प्रतिबद्ध निवेश की राशि एवं निर्धारित समय सीमा में किए गए निवेश की सूचना की अनुपस्थिति में, अंकेक्षण में आवंटी से वसूल की जाने वाली भूमि की अतिरिक्त लागत/ प्रतिधारण शुल्क की गणना नहीं की जा सकी थी।

सरकार ने बताया (जुलाई 2018) कि आवंटी को अंतिम कारण बताओ नोटिस अप्रैल 2018 मे जारी कर दिया गया था एवम् आवश्यक दस्तावेजो एवं प्रमाणपत्रो की प्राप्ति के पश्चात मामले की जांच एवं भूमि की अतिरिक्त लागत/प्रतिधारण शुल्क की वसूली की जायेगी। अग्रिम कार्यवाही प्रतीक्षित थी। (अगस्त 2018) (भिवाड़ी- I इकाई)

मैसर्स स्ट्राइड ऑटो पार्टस लिमिटेड

कंपनी ने एक भूखण्ड **मैसर्स स्ट्राइड ऑटो पार्टस लिमिटेड**(आवंटी) को आवंटित (मई 2011) किया था। आवंटी को ₹ 121.50 करोड़ के न्यूनतम निवेश के साथ 25 मई 2013 तक उत्पादन गतिविधि प्रारंभ करनी थी। आवंटी ने निर्धारित समयावधि में उत्पादन गतिविधि प्रारंभ नही की थी। आवंटी द्वारा सी ए प्रमाणपत्र जिसमे प्रतिबद्ध निवेश से अधिक (₹ 129.64 करोड़) निवेश बताया गया था, के साथ समय विस्तार हेतु निवेदन किया गया था। प्रकरण को उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उप समिति ने प्रतिधारण शुल्क के भुगतान करने पर 31 दिसम्बर 2013 तक उत्पादन गतिविधी प्रारंभ करने हेतु समय विस्तार प्रदान करने का निर्णय (सितम्बर 2013) लिया था। आवंटी द्वारा किये गये निवेश को स्वीकार करते हुये, उप समिति ने यह भी सिफारिश की है कि समय विस्तार हेतु भूमि की अतिरिक्त लागत को माफ करने हेतु प्रकरण को आईडीसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाये। इस दौरान इकाई कार्यालय भिवाडी-I ने दिसम्बर 2013 तक समय विस्तार हेतु ₹ 24.75 करोड़ (अर्थात ₹ 23.95 करोड़ भूमि की अतिरिक्त लागत एवं ₹ 0.80 करोड़ प्रतिधारण शुल्क के लिए) की मांग जारी (अक्टूबर 2013) की थी। आवंटी ने उत्पादन गतिविधि प्रारंभ (12 फरवरी 2014) कर प्रार्थना (मार्च 2014 एवं जून 2014) की कि अधिक प्रतिबद्ध निवेश के मद्देनजर प्रतिधारण शुल्क माफ किया जाये। आवंटी द्वारा प्रस्तुत सी ए प्रमाणपत्र (22 मई 2013) के अनुसार ₹ 129.64 करोड के कुल निवेश मे ₹ 88.85 करोड़ के पूँजीगत अग्रिम शामिल थे। पूँजीगत अग्रिम पर निर्णय लेने हेतु प्रकरण को आईडीसी के समक्ष प्रस्तुत (अगस्त 2014) किया गया था। आईडीसी ने 22 मई 2013 तक परियोजना मे ₹ 129.64 करोड का निवेश मानने एवं उत्पादन गतिविधि प्रारंभ करने मे विलंब हेतु 12 फरवरी 2014 तक 0.5 प्रतिशत प्रति त्रिमाही की दर से प्रतिधारण शुल्क लगाने का निर्णय (अगस्त 2014) लिया था। आईडीसी के निर्णयानुसार, इकाई कार्यालय ने ₹ 53.72 लाख प्रतिधारण शुल्क की वसूली की थी।

हमने देखा कि परियोजना में पूँजीगत अग्रिमों को पूँजीगत निवेश मानना सही नहीं था क्योंकि स्थल रिपोर्ट (सितम्बर 2013) के अनुसार आवंटी ने निर्धारित समय में संयत्र एवं मशीनरी स्थापित नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, इस प्रकरण मे कंपनी ने पूंजीगत अग्रिमों को निवेश मे शामिल करने की अनुमति दी थी जबकि एक अन्य प्रकरण (मैसर्स एरोबुक शू प्राइवेट लिमिटेड) में इसने इसे अस्वीकृत कर दिया था जो इंगित करता है कि ऐसे प्रकरणो मे कंपनी द्वारा लिये गये निर्णयों में निरंतरता नहीं थी। इस प्रकार कंपनी ने आवंटी को ₹ 3.87 करोड़ की अदेय छूट प्रदान की थी ।

सरकार ने स्वीकार किया कि (जुलाई 2018) कंपनी ने पूंजीगत अग्रिमों को निवेश माना था एवम् बताया कि यह मेसर्स एरोबुक शू प्राइवेट लिमिटेड के प्रकरण मे नही माना गया था क्योंकि उत्पादन का प्रमाणन जुलाई 2014 की संशोधित नीति के अनुसार किया गया था। इसलिये दोनो प्रकरणों विभिन्न योग्यता/आधार होने के कारण इनकी तुलना नही की जा सकती। उत्तर स्वीकार्य नही है क्योंकि पूर्व की नीति/नियमों मे भी पूंजीगत निवेश मानने के समान प्रावधान थे। इसलिये तथ्य यह रहा कि कंपनी ने आवंटी को ₹ 3.87 करोड़ की अदेय छूट प्रदान की थी। **(भिवाडी – I इकाई)**